भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/265

विवि.एसीसी.आरईसी.सं.184/21.04.018/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 (1 अप्रैल, 2026 तक अद्यतन)

विषय सूची

अध्याय-I प्रारंभिक 3

ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 3

बी. प्रयोज्यता 3

अध्याय-II तुलनपत्र और लाभ और हानि खाता 4

ए. तुलनपत्र और लाभ और हानि खाते का प्रारूप 4

बी. संकलन के लिए टिप्पणियाँ और अनुदेश 4

सी. कुछ लेखांकन मानकों के संबंध में विशिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन 31

अध्याय-III वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण – लेखा संबंधी टिप्पणियाँ 42

ए. सामान्य 42

बी. प्रस्तुतीकरण 42

सी. प्रकटीकरण आवश्यकताएं 42

अध्याय-IV अन्य निदेश 81

ए. अंतर शाखा खाता - निवल कटौती शेष के लिए प्रावधान 81

बी. नोस्ट्रो खाते का मिलान और बकाया प्रविष्टियों का निपटान 81

सी. आरक्षित निधियों में अंतरण / से विनियोजन 82

डी. धोखाधड़ी के लिए प्रावधान 83

ई. असमाधानित शेष राशियाँ 83

एफ. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता (डीटीएल) 83

जी. विंडो ड्रेसिंग 84

अध्याय-V निरसन और अन्य प्रावधान 85

ए. निरसन और व्यावृत्ति 85

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं 85

सी. व्याख्याएँ 85

अनुबंध I 87

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों/कानूनों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि यह सार्वजनिक हित में और ऐसा करने के हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय-I प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - वित्तीय विवरण : प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (जेए) के तहत परिभाषित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से ' बैंकों' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) पर लागू होंगे।

अध्याय-II तुलनपत्र और लाभ और हानि खाता

ए. तुलनपत्र और लाभ और हानि खाते का प्रारूप

4. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के संदर्भ में, एक बैंक अपने द्वारा किए गए सभी व्यवसाय के संबंध में वर्ष के अंतिम कार्य दिवस या अवधि के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्रों में एक तुलनपत्र और लाभ और हानि खाता तैयार करेगा। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना एस.ओ.240(ई) दिनांक 26 मार्च 1992 के माध्यम से तीसरी अनुसूची में प्रपत्रों को विनिर्दिष्ट किया है। इन्हें इन निदेशों के अनुबंध I में पुन: प्रस्तुत किया गया है।

बी. संकलन के लिए टिप्पणियाँ और अनुदेश

5. एक बैंक नीचे उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट तुलनपत्र और लाभ और हानि खाते के संकलन के लिए सामान्य अनुदेशों का पालन करेगा। बैंक समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / दिशानिर्देशों के अधीन, कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021, यथासंशोधित के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

नोट: संकलन के निदेशों में किसी गतिविधि, लेनदेन या मद का उल्लेख मात्र यह नहीं दर्शाता है कि इसकी अनुमति है, और बैंक किसी गतिविधि या लेनदेन की अनुमति या अन्यथा का निर्धारण करते समय मौजूदा सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं का संदर्भ देगा।

(1) **तुलनपत्र संकलन के लिए अनुदेश**

मद	सं		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणियाँ और अनुदेश
पूंजी	1		राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए पूंजी (केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व में)	
			भारत के बाहर निगमित बैंकों के लिए पूंजी	

			अन्य बैंक (भारतीय) प्राधिकृत पूंजी (__ शेयर, हर एक ₹ ___ का) निर्गमीत पूंजी (__ शेयर, हर एक ₹ ___ का) अभिदत्त पूंजी (__ शेयर, हर एक ₹ ___ का) कॉल-अप पूंजी (__ शेयर, हर एक ₹ ___ का) घटाएं: अदत्त मांग जोड़ें: समप्रहृत शेयर	अधिकृत, निर्गमित, अभिदत्त, मांगी गई पूंजी अलग से दी जाएगी। बकाया मांग को मांगी गई पूंजी से घटा दिया जाएगा जबकि जब्त किए गए शेयरों का चुकता मूल्य जोड़ा जाएगा जिससे चुकता पूंजी होगी। जहां आवश्यक हो, उन वस्तुओं को एक शीर्षक के तहत दिखाया जाएगा जिन्हें जोड़ा जा सकता है, उदाहरण के लिए 'जारी और अभिदत्त पूंजी'। टिप्पणियाँ 1. वर्ष के दौरान उपरोक्त मदों में परिवर्तन, यदि कोई हो, जैसे कि सरकार द्वारा किया गया नया योगदान, पूंजी का नया निर्गमन, आरक्षित पूंजी का पूंजीकरण आदि, को टिप्पणियाँ में समझाया जाएगा।
आरक्षित और अधिशेष	2	(I)	सांविधिक आरक्षितिया	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(1) (इस मास्टर निदेश के पैराग्राफ 13 के साथ पठित) या उसकी किसी अन्य धारा के अनुपालन में, लाभ से बनाए गए रिज़र्व को अलग से प्रकट किया जाएगा।
		(II)	पूंजी आरक्षितिया	'पूंजी आरक्षितिया' अभिव्यक्ति में लाभ और हानि खाते के माध्यम से वितरण के लिए मुक्त मानी जाने वाली कोई भी राशि कैपिटल रिज़र्व में

				शामिल नहीं होगी। पुनर्मूल्यांकन पर अधिशेष को पूंजी आरक्षितिया माना जाएगा।
		(III)	शेयर प्रीमियम	शेयर पूंजी के निर्गम पर प्रीमियम को इस शीर्ष के अंतर्गत अलग से दिखाया जाएगा।
		(IV)	राजस्व और अन्य आरक्षितिया	अभिव्यक्ति 'पूंजी आरक्षितिया' का अर्थ कैपिटल रिज़र्व के अलावा कोई भी अन्य रिज़र्व होगा। इस मद में अलग से वर्गीकृत किए गए आरक्षित के अलावा अन्य सभी आरक्षित शामिल होंगे। 'आरक्षित' अभिव्यक्ति में मूल्य में मूल्यह्रास, नवीनीकरण या कमी के लिए प्रावधान करके रखी गई कोई राशि या किसी ज्ञात देयता के लिए प्रावधान करके रखी गई कोई राशि शामिल नहीं होगी। निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व इस शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाएगा।
		(V)	लाभ और हानि खाते का अधिशेष	इसमें विनियोजन के बाद लाभ का शेष शामिल है। हानि की स्थिति में शेष राशि कटौती के रूप में दिखाई जाएगी। *टिप्पणियाँ:* विभिन्न श्रेणियों के आरक्षित में होने वाली गतिविधियों को अनुसूची में दर्शाया जाएगा।
जमा	3	ए.I)	मांग निक्षेप	
		(i)	बैंकों से	इसमें मांग पर चुकाई जाने वाली सभी बैंक निक्षेप शामिल हैं।
		(ii)	अन्य से	इसमें गैर-बैंक क्षेत्रों की सभी मांग निक्षेप शामिल हैं।

				ओवरड्राफ्ट, नकद ऋण खातों, मांग पर देय निक्षेप, अतिदेय निक्षेप, निष्क्रिय चालू खाते, परिपक्व समय निक्षेप, नकद प्रमाण पत्र और निक्षेप प्रमाण पत्र आदि में क्रेडिट शेष राशि को इस श्रेणी के तहत शामिल किया जाएगा।
		(II)	बचत बैंक निक्षेप	सभी बचत बैंक निक्षेप (निष्क्रिय बचत बैंक खातों सहित) शामिल हैं
		(III)	कालिक निक्षेप	
		(i)	बैंकों से	इसमें एक विनिर्दिष्ट अवधि के बाद चुकाई जाने वाली सभी प्रकार की बैंक निक्षेप शामिल हैं।
		(ii)	अन्य से	इसमें गैर-बैंक क्षेत्र की सभी प्रकार की जमा राशि शामिल है जो एक विनिर्दिष्ट अवधि के बाद चुकाई जाती है। सावधि जमा, संचयी और आवर्ती जमा, नकद प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण पत्र, वार्षिकी जमा, विभिन्न योजनाओं के तहत जुटाए गए जमा, साधारण कर्मचारी जमा, विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा खाते आदि को इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
		बीi) ii)	भारत में शाखाओं के निक्षेप भारत से बाहर शाखाओं के निक्षेप	इन दोनों मदों का योग तुलनपत्र में दिखाए गए कुल जमाराशियों से मेल खाना चाहिए। *टिप्पणियाँ*

				1. जमा पर देय ब्याज जो उपचित है लेकिन देय नहीं है, को अन्य देयताओं के तहत दिखाया जाएगा, लेकिन शामिल नहीं किया जाएगा। 2. परिपक्क सावधि जमा को मांग जमा माना जाएगा। 3. विशेष योजनाओं के तहत जमा राशि को सावधि जमा के तहत शामिल किया जाएगा यदि वे मांग पर देय नहीं हैं। जब ऐसी जमा राशि भुगतान के लिए परिपक्क हो जाती है, तो उन्हें मांग जमा के तहत दिखाया जाएगा। 4. बैंक से जमा में भारत में बैंकिंग प्रणाली से जमा, सहकारी बैंक, विदेशी बैंक शामिल होंगे जो भारत में मौजूद हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। 5. एक बैंक इस अनुसूची के फुट नोट के माध्यम से, कुल जमा में से जिस राशि के लिए ग्रहणाधिकार चिह्नित किया गया है, उसका प्रकटीकरण करेगा। (वर्तमान और विगत वर्ष के लिए)
उधार	4	(I)	भारत में उधार	
		(i)	भारतीय रिज़र्व बैंक	इसमें रेपो, अन्य उधार, या भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त शामिल है।

		(ii)	अन्य बैंक	इसमें रेपो, अन्य उधार, या बैंकों (सहकारी बैंकों सहित) से प्राप्त पुनर्वित्त और रेपो खाते में शेष शामिल हैं।
		(iii)	अन्य संस्थान व अभिकरण	इसमें भारतीय निर्यात-आयात बैंक, नाबार्ड और अन्य संस्थानों, एजेंसियों (भागीदारी के विरुद्ध देयता सहित प्रमाणपत्र-बिना जोखिम साझाकरण, यदि कोई हो) और रेपो खाते में शेष राशि से प्राप्त उधार/पुनर्वित्त शामिल है।
		(II)	भारत के बाहर उधार	इसमें भारत के बाहर से लिए गए उधार शामिल है।
			उपर । और ।। में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	यह मद अलग से दिखाया जाएगा। इसमें भारत और भारत के बाहर प्रतिभूत उधार/पुनर्वित्त शामिल है।
				टिप्पणियाँ 1. I और II की कुल राशि तुलनपत्र में दिखाए गए कुल उधार से मेल खानी चाहिए। 2. अंतर-कार्यालय लेनदेन उधार के रूप में नहीं दिखाए जाएंगे। 3. भारतीय रिज़र्व बैंक और विभिन्न संस्थानों से बैंक द्वारा प्राप्त पुनर्वित्त को 'उधार' शीर्षक के तहत दिखाया जाएगा। तदनुसार, अग्रिम राशि को आस्ति पक्ष पर सकल राशि पर दिखाया जाएगा। 4. निम्नलिखित को यहां शामिल किया जाएगा:

				ए) स्थायी ऋण लिखत बी) टियर 2 पूँजी उपकरण सी) अधीनस्थ ऋण।
अन्य देंनदारियों तथा प्रावधान	5	(I)	सदेय बिल	इसमें ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, यात्री चेक, देय मेल ट्रांसफर, वेतन पर्ची, बैंकर्स चेक और अन्य विविध वस्तुएं शामिल हैं।
		(II)	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	अंतर-कार्यालय समायोजन शेष राशि, यदि क्रेडिट में है, तो इस शीर्ष के तहत दिखाया जाएगा। बैंक को सबसे पहले अंतर शाखा खाते में 5 वर्ष से अधिक समय से बकाया क्रेडिट प्रविष्टियों को अलग करना चाहिए और उन्हें एक अलग अवरुद्ध खाते में स्थानांतरित करना चाहिए जिसे 'अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य' के तहत दिखाया जाना चाहिए। यहाँ शामिल करने के लिए अंतर शाखा लेनदेन की निवल राशि पर पहुँचते समय, या अनुसूची 11, जैसा भी मामला हो, अवरुद्ध खाते की कुल राशि को बाहर रखा जाना चाहिए और केवल शेष क्रेडिट प्रविष्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि को कटौती प्रविष्टियों के विरुद्ध नेट किया जाना चाहिए। केवल अंतर-कार्यालय खातों की निवल स्थिति, यहां दिखाई जाएगी।
		(III)	अर्जित ब्याज	इसमें जमा और उधार पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज शामिल है।

		(IV)	अन्य (प्रावधानों सहित)	इसमें आयकर, अन्य कर जैसे ब्याज कर (अग्रिम भुगतान, स्रोत पर कर कटौती आदि से कम), आस्थगित कर (यदि एएस 22 के अनुसार नेटिंग के बाद देयता है), अस्थायी प्रावधान और आकस्मिक निधि शामिल हैं, जिन्हें आरक्षित के रूप में प्रकट नहीं किया जाता है, लेकिन वास्तव में आरक्षित की प्रकृति में हैं, अन्य देयताएँ जिन्हें किसी भी प्रमुख शीर्ष के तहत प्रकट नहीं किया जाता है जैसे कि दावा न किया गया लाभांश, प्रावधान और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए रखी गई निधियां, अप्रयुक्त छूट, बकाया प्रभार जैसे किराया, परिवहन आदि। समाशोधन अंतर में कुल निवल क्रेडिट एक अलग अवरुद्ध खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। यहां दिखाया जाएगा। नोस्ट्रो खातों में बकाया क्रेडिट प्रविष्टियाँ अवरुद्ध खाते में स्थानांतरित की जाएंगी। *टिप्पणियाँ:* 1. अंतर-कार्यालय की निवल शेष राशि पर पहुंचने के लिए सभी संबंधित अंतर-कार्यालय खातों को समायोजित किया जाएगा और निवल शेष राशि ही दिखाई जाएगी, जो ज्यादातर पारगमन और असमायोजित वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है। 2. सभी जमा पर अर्जित ब्याज, चाहे भुगतान देय हो या नहीं, को देयता माना जाएगा। 3. केवल 'जमा' शीर्षक के तहत जमा राशि दिखाने का प्रस्ताव है और इसलिए अशोध्य और

				संदिग्ध ऋणों, आकस्मिक निधि आदि के लिए सभी अधिशेष प्रावधान, जो सापेक्ष आस्ति के विरुद्ध नहीं हैं, को 'अन्य (प्रावधानों सहित)' शीर्षक के तहत लाया जाएगा। 4. मानक आस्तियों के प्रति प्रावधानों को सकल अग्रिमों से नहीं जोड़ा जाएगा और तुलनपत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य' के तहत 'मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान' के रूप में अलग से दिखाया जाएगा। 5. जहां 'अन्य (प्रावधानों सहित)' के तहत कोई भी मद कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक है, वहां ऐसी सभी मदों का विवरण लेखा संबंधी टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा।
आस्तियां				
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष	6	(I)	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	इसमें विदेशी मुद्रा नोटों सहित हाथ में नकदी शामिल है।
		(II)	भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष (i) चालू खाते में (ii) अन्य खातों में	रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा सहित सभी प्रकार के रिवर्स रेपो उप-मद (ii) 'अन्य खातों में' के तहत प्रस्तुत किए जाएंगे।
बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प	7	(I) (i) (ए) (बी)	भारत में बैंकों में अतिशेष चालू खातों में अन्य जमा खातों में	जैसा कि नीचे बताया गया है, मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि को छोड़कर, भारत में बैंकों के साथ सभी शेष राशि (सहकारी बैंकों सहित) शामिल है ।चालू खाते और अन्य जमा खातों में शेष राशि अलग से दिखाई जाएगी।

सूचना पर प्राप्त धन		(ii) (ए) (बी)	मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन बैंकों के साथ अन्य संस्थानों में	निम्नलिखित समाविष्ट जिनकी मूल अवधि 14 दिनों तक है और जिसमें 14 वां दिन शामिल हैं: (i) मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में उधार दिया गया धन (ii) बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ रिवर्स रेपो रिवर्स रेपो खाते में शेष राशि को अनुसूची 7 के तहत मद। (ii) (ए) या। (ii) (बी) के तहत उपयुक्त के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
		(ii) (i) (ii) (iii)	भारत के बाहर चालू खातों में अन्य जमा खातों में मांग और अल्प सूचना पर पर प्राप्त धन	इसमें बैंक की भारतीय शाखाओं द्वारा भारत के बाहर रखी गई शेष राशि शामिल है। 'चालू खातों' और 'जमा खातों' में रखी गई राशि अलग-अलग दिखाई जाएगी। भारत के बाहर 'मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' में आमतौर पर उस विदेशी क्षेत्राधिकार के कानूनों, विनियमों, या बाजार प्रथाओं, जहां मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि जहां ऐसा पैसा उधार दिया जाता है के अनुसार वर्गीकृत जमा राशि शामिल होती है ।
विनिधान	8	(I)	भारत में विनिधान	
		(i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	इसमें केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ और सरकारी ट्रेजरी बिल शामिल हैं।
		(ii)	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियां, जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (ए) के तहत रिजर्व

				बैंक द्वारा 'अनुमोदित प्रतिभूतियों' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, को यहां शामिल किया जाएगा।
		(iii)	शेयर	मद (ii) में शामिल नहीं की गई कंपनियों और निगमों के शेयरों में निवेश को यहां शामिल किया जाएगा।
		(iv)	डिबेंचर और बांड	मद (ii) में शामिल नहीं किए गए कंपनियों और निगमों के डिबेंचर कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा परिभाषित) और बांड में निवेश को यहां शामिल किया जाएगा।
		(v)	अनुषंगियों और/अथवा सह उद्यम	अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों (सहयोगियों सहित) में निवेश को यहां शामिल किया जाएगा।
		(vi)	अन्य	अवशिष्ट निवेश, यदि कोई हो, जैसे म्यूचुअल फ़ंड, सोना, आदि।
		(II)	भारत के बाहर विनिधान	
		(i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रतिभूतियों सहित सभी विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों को इस शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।
		(ii)	विदेश में अनुषंगियों और/अथवा उद्यम	भारत से बाहर और / अथवा विदेश में संयुक्त उद्यमों की सहायक कंपनियों की शेयर पूंजी में किए गए सभी निवेशों को इस शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

		(iii)	अन्य विनिधान	भारत के बाहर के अन्य सभी निवेश इस शीर्ष के अंतर्गत दिखाए जाएंगे।
अग्रिम	9	ए.(i)	क्रय किए गए और मिती काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र	धारा ए के तहत वर्गीकरण में, प्रावधानों के निवल सभी बकाया अग्रिम, तीन शीर्षों के तहत वर्गीकृत किए जाएंगे जैसा कि इंगित किया गया है और इसमें बकाया किस्तों के साथ-साथ प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम दोनों शामिल होंगे। फैक्टोरिंग के तहत अर्जित प्राप्य 'खरीदे और भुनाए गए बिल' के तहत रिपोर्ट किए जाएंगे।
		(ii)	नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण	मांग पर चुकाए जाने वाले सभी ऋण और एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि ऋणों को 'नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण' के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि को इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अन्य शेष राशि जो क्रेडिट संचालन से संबंधित है, भले ही वे अन्य बैंकों/संगठनों से बकाया हों, उन्हें अग्रिम के हिस्से के रूप में दिखाया जाएगा। हालाँकि, जहाँ ऐसे देय राशि शुल्क या अन्य राजस्व प्राप्य की प्रकृति में हैं, उन्हें 'अन्य आस्तियाँ' के रूप में दिखाया जा सकता है।
		(iii)	सावधि ऋण	'सावधि ऋण' एक ऋण है जिसकी एक विनिर्दिष्ट परिपक्वता है और किश्तों में या बुलेट रूप में देय है। एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाले सभी सावधि ऋणों को इस श्रेणी (अर्थात, ए (iii)) के

				तहत वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले अल्पकालिक ऋणों को मांग पर चुकाए जाने वाले ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
		बी.(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	सभी अग्रिम या बही ऋणों के विरुद्ध अग्रिम सहित अग्रिमों का हिस्सा जो मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत है, यहां दिखाया जाएगा। इस मद में भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रतिभूत अग्रिम शामिल होंगे। बैंक यह विनिर्दिष्ट करेगा कि मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत अग्रिमों में बुक ऋण के विरुद्ध अग्रिम शामिल हैं।
		(ii)	बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा सूरक्षित	जहां तक वे भारतीय/विदेशी सरकारों, भारतीय/विदेशी बैंकों, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) की गारंटी से कवर किए जाते हैं, उन्हें यहां शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) और निम्न आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) तथा राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के तहत योजनाओं द्वारा कवर किए गए अग्रिमों को भी इसमें शामिल किया

				जाएगा, जो स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित हैं। ** *नोट:* समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के संदर्भ में।
		(iii)	अप्रतिभूत	(i) और (ii) के तहत वर्गीकृत नहीं की गई सभी अग्रिम राशि को यहां शामिल किया जाएगा। संपार्श्विक के रूप में बैंक को प्रभारित अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि को मूर्त प्रतिभूति के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए और इसलिए इस शीर्ष के तहत ऐसे अग्रिमों को अप्रतिभूत के रूप में गिना जाएगा, खाते के नोटों में इसका प्रकटीकरण किया जाएगा। 'ए' का कुल योग 'बी' के कुल योग से मेल खाना चाहिए।
		सी **(I)** (i) (ii) (iii) (iv) **(II)**	**भारत में अग्रिम** प्राथमिकता क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र बैंक अन्य **भारत के बाहर अग्रिम** बैंकों से शोध्य	उधार को क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा जैसा कि इंगित किया गया है। अग्रिम, जो मौजूदा भारतीय रिजर्व बैंक अनुदेशों के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में योग्य हैं, को 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र' शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाना है। इस तरह की प्रगति को मद (ii) अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र को अग्रिम से बाहर रखा जाएगा। केन्द्रीय/राज्य सरकारों और सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों सहित अन्य सरकारी उपक्रमों को अग्रिम राशि को

		(i) (ii) (iii) (iv) (v)	अन्यों से शोध्य क्रय किए गए और मिती काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र सिंडिकेटेड ऋण अन्य	'सार्वजनिक क्षेत्र' की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। सहकारी बैंकों सहित बैंकिंग क्षेत्र को सभी अग्रिम 'बैंक' शीर्षक के अंतर्गत आएंगे। शेष सभी अग्रिम राशि को 'अन्य' शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और आमतौर पर इस श्रेणी में निजी, संयुक्त और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम और सहकारी क्षेत्र शामिल होंगे। *टिप्पणियाँ* 1. अग्रिमों की सूचना उन पर किए गए प्रावधानों (मानक आस्तियों के प्रावधानों के अलावा) को मिलाकर दी जाएगी।जहां तक अस्थायी प्रावधानों को टियर 2 पूंजी के रूप में नहीं माना गया है**,** उन्हें भी अग्रिमों से निवलित किया जाएगा।2. रिपोर्ट किए गए सावधि ऋणों में मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण शामिल नहीं होंगे। 3. संघीय अग्रिमों को अन्य सहभागी बैंकों/संस्थाओं के हिस्से के निवल प्रतिवेदित किया जाएगा। 4. बैंक के अपने स्टाफ को दिए गए सभी ब्याज वाले ऋण और अग्रिम यहां शामिल किए जाएंगे। 5. अन्य बैंकों/संगठनों को दिए गए अग्रिम यहां शामिल किए जाएंगे। 6. अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं यहां परिलक्षित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, इसे

				अन्य संपत्तियों में "ब्याज अर्जित" के तहत दिखाया जाए। 7. बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (बुनियादी ढांचा परियोजनाओं सहित) के संबंध में बैंक को प्रतिभूति/संपार्श्विक के रूप में प्रभारित अधिकार, लाइसेंस और प्राधिकरण आदि को मूर्त प्रतिभूति के रूप में नहीं गिना जाएगा। इस तरह की प्रगति को अप्रतिभूत माना जाएगा। 8. आहरित सीमा तक आंशिक ऋण वृद्धि सुविधाओं को अग्रिम माना जाएगा। 9. जोखिम साझाकरण के साथ अंतर बैंक भागीदारी की कुल राशि जारी करने वाले बैंक द्वारा बकाया कुल अग्रिम से घटा दिया जाएगा। भाग लेने वाला बैंक अग्रिम के तहत अंतर बैंक भागीदारी की राशि दिखाएगा। जहां भागीदारी जोखिम साझाकरण के बिना है, इसे भाग लेने वाले बैंक द्वारा अनुसूची 9 के तहत बैंकों से देय के रूप में दर्शाया जाएगा। 10. 14 दिनों से अधिक की मूल अवधि वाले बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ रिवर्स रेपो को निम्नलिखित शीर्षक के तहत इस अनुसूची के तहत दिखाया जाएगा: i. ए.(ii) 'नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण' ii. बी. (i) 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत'

				iii. सी. (I) (iii) बैंक (iv) 'अन्य' (जैसा मामला हो)
स्थिर आस्तियां	10	(I) (i) (ii) (iii) (iv)	परिसर पूर्ववर्तीय वर्ष की 31 मार्च के अनुसार लागत वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौतियां आज तक का मूल्यह्रास	भूमि सहित परिसर, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए बैंक के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व में हैं, जिनमें आवासीय परिसर भी शामिल हैं, को 'परिसर' के रूप में दर्शाया जाएगा। परिसर और अन्य अचल आस्तियों के मामले में, विगत शेष, उसमें परिवर्धन और कटौती के साथ-साथ वर्ष के दौरान बट्टे खाते में लिखी गई कुल मूल्यह्रास को दिखाया जाएगा।
		(II) (i) (ii) (iii) (iv)	अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर और फिक्स्चर सहित) पूर्ववर्तीय वर्ष की 31 मार्च के अनुसार लागत वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौतियां आज तक का मूल्यह्रास	फर्नीचर और फिक्स्चर, वाहन और अन्य सभी अचल आस्ति को इस शीर्षक के तहत दिखाया जाएगा।
अन्य आस्तियां	11	(I)	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	अंतर-कार्यालय समायोजन शेष राशि, यदि डेबिट में है, तो इस शीर्ष के तहत दिखाया जाएगा। केवल अंतर-कार्यालय खातों की निवल

				स्थिति यहां दिखाई जाएगी। अंतर-कार्यालय समायोजन खातों के निवल शेष तक पहुंचने के लिए, सभी जुड़े हुए अंतर-कार्यालय खातों को एकत्रित किया जाएगा और निवल शेष, यदि केवल कटौती में है, तो ज्यादातर पारगमन और असमायोजित वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया जाएगा।
		(II)	अर्जित ब्याज	निवेशों और अग्रिमों पर अर्जित लेकिन देय नहीं और निवेशों पर देय लेकिन एकत्र नहीं किया गया ब्याज इस मद के मुख्य घटक होंगे। चूंकि बैंक आम तौर पर तुलनपत्र की तारीख पर बकाया ब्याज के साथ उधारकर्ताओं के खाते को कटौती करते हैं, इसलिए आम तौर पर अग्रिम पर कोई ब्याज देय राशि नहीं हो सकती है। केवल ऐसी ब्याज राशि जो सामान्य क्रम में प्राप्त की जा सकती है, इस शीर्ष के अंतर्गत दिखाई जाएगी।
		(III)	अग्रिम रूप से सदेत/स्त्रोत पर कर कटौती	अग्रिम कर भुगतान की राशि, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), आदि, इस सीमा तक कि ये मद सापेक्ष कर प्रावधानों के विरुद्ध समंजन नहीं हैं, इस मद के विरुद्ध दिखाया जाएगा।
		(IV)	लेखन सामाग्री और स्टैंप	केवल लेखन सामग्री पर व्यय की असाधारण मदें जैसे कि प्रतिभूति पत्र, लूज़ लीफ़ या अन्य लेजर आदि की थोक खरीद, जिन्हें समय की अवधि में बट्टे खाते में दिखाया जाना है, उन्हें यहां दिखाया जाएगा। मूल्य यथार्थवादी आधार पर होगा और

				लागत वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये वस्तुएं आंतरिक उपयोग के लिए हैं।
		(V)	दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई बैंककारी आस्तियां	दावों की संतुष्टि में अर्जित अचल आस्तियां/मूर्त आस्तियां इस शीर्ष के तहत दिखाई जानी हैं।
		(VI)	अन्य	इसमें ऐसे दावे शामिल होंगे जो पूरे नहीं हुए हैं, उदाहरण के लिए, समाशोधन मदें, आस्तियों में वृद्धि या देयताओं में कमी का प्रतिनिधित्व करने वाले कटौती मद जिन्हें तकनीकी कारणों से समायोजित नहीं किया गया है, विवरण की कमी आदि। ब्याज के अलावा अर्जित आय को भी यहां शामिल किया जाएगा। बैंक के कर्मचारियों को दिए गए सभी ब्याज रहित ऋण और अग्रिम यहां बताए जाएंगे। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के साथ नकद मार्जिन जमा यहां दिखाया जाएगा। प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों में कमी के कारण नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी आदि के साथ रखे गए जमा को यहां शामिल किया जाएगा। बैंक चालू वर्ष और विगत वर्ष दोनों के लिए ऐसी जमा राशि का विवरण तुलनपत्र की अनुसूची 11 में एक फुट नोट के रूप में भी प्रकट करेंगे। जहां 'अन्य' के तहत कोई भी मद कुल आस्ति के एक प्रतिशत से अधिक है, वहां ऐसे सभी

				आइटमों का विवरण लेखा संबंधी टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा।
समाश्रित दायित्व	12	(I)	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हे ऋण के रुप में स्वीकार नही किया गया हैं।	--
		(II)	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता	आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर, डिबेंचर आदि पर देयता को इस शीर्ष में शामिल किया जाएगा।
		(III)	बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों के कारण देयता	बकाया वायदा विनिमय अनुबंध यहां शामिल किए जाएंगे।
		(IV)	संघटको की ओर से दी गई प्रतिभूतिया	-
		(i)	भारत में	
		(ii)	भारत के बाहर	
		(V)	प्रति-ग्रहण पृष्ठकन और अन्य बाध्यताएँ	इस मद में अपने ग्राहकों की ओर से बैंक द्वारा स्वीकार किए गए साख पत्र और बिल शामिल होंगे।
		(VI)	अन्य वस्तुएं जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	संचयी लाभांशों की बकाया राशि, बिलों का पुनर्वितरण, हामीदारी अनुबंधों की प्रतिबद्धताएं, और पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुमानित अनुबंधों की राशि आदि को यहां शामिल किया जाना है।

				सभी दावा न की गई देनदारियां (जहां बकाया राशि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 के तहत स्थापित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में स्थानांतरित कर दी गई है) यहां दिखाई जाएंगी। बिना आहरित आंशिक क्रेडिट वृद्धि सुविधाएं यहां दिखाई जाएंगी। जारी किए जाने पर (डबल्यूआई) प्रतिभूतियों को प्रतिभूति जारी होने तक तुलनपत्रेतर मद के रूप में बहियों में दर्ज किया जाना चाहिए। तुलनपत्रेतर की 'डब्ल्यूआई' बाजार में निवल स्थिति को दैनिक आधार पर 'डब्ल्यूआई' प्रतिभूति के दिन के समापन मूल्य पर स्क्रिप वार पर चिह्नित किया जाना चाहिए। यदि 'डब्ल्यूआई' प्रतिभूति की कीमत उपलब्ध नहीं है, तो इसके बजाय मौजूदा नियमों के अनुसार निर्धारित अंतर्निहित प्रतिभूति के मूल्य का उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई मूल्यह्रास है, तो उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए और यदि कोई मूल्यवृद्धि है, तो उसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। वितरण पर, अंतर्निहित प्रतिभूति को तीन श्रेणियों में से किसी में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात, 'परिपक्वता के लिए रखा गया' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस), या 'लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल), अनुबंध मूल्य पर रखने के इरादे के आधार पर।

संग्रहण के लिए बिल	--		--	संग्रहण के दौरान बिल और अन्य वस्तुएं और समायोजित नहीं की गई हैं, केवल सारांश संस्करण में इस मद के विरुद्ध दिखाई जाएंगी। कोई अलग अनुसूची प्रस्तावित नहीं है।

(2) **लाभ और हानि खाते के संकलन के लिए अनुदेश**

मद	सं		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणियाँ और अनुदेश
अर्जित ब्याज	13	(I)	ब्याज, अग्रिमो / विनिमयों पात्रो पर ब्याज/मितीकाटा	इसमें सभी प्रकार के ऋणों और अग्रिमों जैसे नकद ऋण, मांग ऋण, ओवरड्राफ्ट, निर्यात ऋण, सावधि ऋण, घरेलू और विदेशी खरीदे गए और रियायती बिलों (पुनः गणना किए जाने वाले सहित), अतिदेय ब्याज और ब्याज सब्सिडी, यदि कोई हो, ऐसे अग्रिमों/बिलों से संबंधित ब्याज और छूट शामिल हैं।
		(II)	विनिधानों पर आय	इसमें ब्याज/छूट और लाभांश के माध्यम से निवेश पोर्टफोलियो से प्राप्त सभी आय शामिल हैं। एचटीएम प्रतिभूतियों के संबंध में परिशोधित प्रीमियम की राशि यहां कटौती के रूप में दिखाई जाएगी। कटौती को अलग से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभूति का बुक वैल्यू संबंधित लेखा अवधि के दौरान परिशोधित राशि की सीमा तक कम होता रहेगा।
		(III)	भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज	इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों के साथ शेष राशि, मांग ऋण, मुद्रा बाजार प्लेसमेंट आदि पर ब्याज शामिल है।

		(IV)	अन्य	इसमें उपरोक्त शीर्षों में शामिल नहीं की गई कोई अन्य ब्याज/छूट आय शामिल है।
				टिप्पणियाँ: रिवर्स रेपो ब्याज आय खाते में शेष राशि को अनुसूची 13 (यथोचित रूप से मद III या IV के तहत वर्गीकृत किया जाएगा)।
अन्य आय	14	(I)	आयोग, विनिमय और ब्रोकरेज	संग्रह पर कमीशन, प्रेषण और हस्तांतरण पर कमीशन/विनिमय, साख पत्रों और बैंक गारंटियों पर कमीशन, लॉकर किराए पर देना, सरकारी व्यवसाय पर कमीशन, परामर्श और अन्य सेवाओं सहित अन्य अनुमत एजेंसी व्यवसाय पर कमीशन, प्रतिभूतियों पर ब्रोकरेज आदि जैसी सेवाओं पर सभी पारिश्रमिक शामिल हैं। इसमें विदेशी मुद्रा आय शामिल नहीं है।
		(II) (III)	विनिधानों के विक्रय पर लाभ घटाएँ: विनिधानों के विक्रय पर हानि विनिधानों के पूनर्मूल्यांकन पर लाभ घटाएँ: विनिधानों के पूनर्मूल्यांकन पर हानि	इसमें प्रतिभूतियों, फर्नीचर, भूमि और भवन, मोटर वाहनों, सोना, चांदी आदि की बिक्री पर लाभ/हानि शामिल है। केवल निवल स्थिति दिखाई जाएगी। यदि निवल स्थिति हानि है, तो राशि कटौती के रूप में दिखाई जाएगी। आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ/हानि भी इस मद के तहत दिखाई जाएगी। अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान यहां नहीं दिखाया जाएगा और इसके बजाय प्रावधानों और आकस्मिकताओं के तहत दर्शाया जाएगा।

		(IV)	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की विक्र पर लाभ घटाएँ: भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की विक्र पर हानि	
		(V)	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ घटाएँ: विनिमय संव्यवहारों पर हानि	इसमें विदेशी मुद्रा में लेनदेन पर लाभ/हानि, विदेशी मुद्रा के माध्यम से अर्जित सभी आय, कमीशन और विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुल्क शामिल हैं, जिसमें ब्याज शामिल नहीं है, जिसे ब्याज शीर्ष के तहत दिखाया जाएगा। केवल निवल स्थिति दिखाई जाएगी। यदि निवल स्थिति हानि है, तो इसे कटौती के रूप में दिखाया जाना है।
		(VI)	विदेश/भारत में स्थापित समनुषंगियों /कंपनियों और/या सह उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	
		(VII)	प्रकिर्ण आय	इसमें गोदाम के किराए, बैंक की आस्तियों से आय, प्रतिभूति शुल्क, बीमा आदि के लिए घटकों से वसूली और कोई अन्य विविध आय शामिल है। यदि इस शीर्ष के तहत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है, तो विवरण टिप्पणियाँ में दिया जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र ऋण

				प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) की बिक्री से प्राप्त शुल्क यहां दिखाया जाएगा।
व्यय किया गया ब्याज	15	(I)	निक्षेपों पर ब्याज	इसमें बैंकों और अन्य संस्थानों से जमा सहित सभी प्रकार की जमा पर दिया गया ब्याज शामिल है।
		(II)	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारो पर ब्याज	इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों से सभी उधार और पुनर्वित्त पर छूट/ब्याज शामिल है।
		(III)	अन्य	वित्तीय संस्थानों से सभी उधार/पुनर्वित्त पर छूट/ब्याज शामिल है। भागीदारी प्रमाणपत्रों पर ब्याज, दंड ब्याज भुगतान आदि जैसे अन्य सभी भुगतान भी यहां शामिल किए जाएंगे।
				टिप्पणियाँ: 1. रेपो ब्याज व्यय खाते में शेष राशि को अनुसूची 15 (यथोचित रूप से मद II या III के तहत वर्गीकृत किया जाएगा)। 2. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करते समय, बैंकों को विक्रेता को भुगतान की गई खंडित अवधि के ब्याज को निवेश की लागत के हिस्से के रूप में पूंजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे खर्च के रूप में बुक करना चाहिए।
परिचालन व्यय	16	(I)	कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान	इसमें कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी, भत्ते, बोनस, अन्य कर्मचारी लाभ जैसे भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, कर्मचारियों को पोशाक, छुट्टी किराया

				रियायतें, कर्मचारी कल्याण, कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता आदि शामिल हैं।
		(II)	भाटक, कर और रोशनी	इसमें बैंकों द्वारा इमारतों पर भुगतान किया गया किराया, भुगतान किए गए नगरपालिका और अन्य कर (आय कर और ब्याज कर को छोड़कर), बिजली और अन्य समान शुल्क और लेवी शामिल हैं। कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और अन्य समान भुगतान 'कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान' शीर्षक के तहत दिखाई देंगे।
		(III)	मुद्रण और लेखन सामग्री	इसमें बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली पुस्तकें और फॉर्म और स्टेशनरी मद और अन्य मुद्रण शुल्क शामिल हैं जो प्रचार व्यय के रूप में नहीं किए जाते हैं।
		(IV)	विज्ञापन और प्रचार	इसमें विज्ञापन और प्रचार उद्देश्यों के लिए बैंक द्वारा किया गया व्यय शामिल है जिसमें प्रचार सामग्री के मुद्रण शुल्क भी शामिल हैं।
		(V)	बैंक की आस्ति पर मूल्यह्रास	इसमें बैंक की अपनी आस्ति, कार और अन्य वाहन, फर्नीचर, बिजली फिटिंग, तिजोरी, लिफ्ट, पट्टे की आस्ति, गैर- बैंकिंग आस्ति आदि पर मूल्यह्रास शामिल है।
		(VI)	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	इसमें बैठने का शुल्क, भत्ते और निदेशकों की ओर से किए गए अन्य सभी खर्च शामिल हैं। दैनिक भत्ता, होटल शुल्क, परिवहन शुल्क आदि, जो यद्यपि खर्चों की प्रतिपूर्ति की प्रकृति में हैं, इस

				शीर्ष के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। स्थानीय बोर्ड के सदस्यों, बोर्ड की समितियों आदि के समान खर्चों को भी इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
		(VII)	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)	पेशेवर सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई फीस और उनके कर्तव्यों के निष्पादन के लिए सभी खर्चों को शामिल किया गया है, भले ही वे खर्चों की प्रतिपूर्ति की प्रकृति में हों। यदि आंतरिक निरीक्षण और लेखापरीक्षा और अन्य सेवाओं के लिए बैंकों द्वारा स्वयं बाहरी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई है, तो उस संदर्भ में शुल्क सहित किए गए खर्चों को इस शीर्ष के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि 'अन्य व्यय' के तहत दिखाया जाना चाहिए।
		(VII)	विधि प्रभार	सभी कानूनी खर्च और कानूनी सेवाओं के संबंध में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति को यहां शामिल किया जाएगा।
		(IX)	डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन, आदि।	इसमें डाक टिकट, टेलीफोन आदि जैसे सभी डाक शुल्क शामिल हैं।
		(X)	मरम्मत और अनुरक्षण	इसमें बैंक की आस्ति की मरम्मत, उनके रखरखाव शुल्क आदि शामिल हैं।
		(XI)	बीमा	इसमें संबंधित पक्षों से वसूल नहीं किए जाने की सीमा तक बैंक की आस्ति पर बीमा शुल्क,

				डीआईसीजीसी को भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम आदि शामिल हैं।
		(XII)	अन्य व्यय	लाइसेंस शुल्क, दान, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं, मनोरंजन व्यय, यात्रा व्यय आदि जैसे किसी अन्य शीर्ष में शामिल नहीं किए गए सभी व्यय इस शीर्ष के तहत शामिल किए जाएंगे। यदि इस शीर्ष के तहत कोई विशेष मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो विवरण टिप्पणियाँ में दिया जाएगा। पीएसएलसी की खरीद के लिए भुगतान की गई फीस यहां दिखाई जाएगी।
प्रावधान और आकस्मिकताएँ				इसमें खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए सभी प्रावधान, कराधान के लिए प्रावधान, एनपीआई के लिए प्रावधान, आकस्मिकताओं और अन्य समान मदों में हस्तांतरण शामिल हैं।

सी. कुछ लेखांकन मानकों के संबंध में विशिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन

6. बैंक के लिए कुछ लेखा मानकों के अनुप्रयोग में प्रासंगिक मुद्दों के संबंध में में निम्नलिखित का भी पालन करेगा:

(1) लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

(i) इस मानक का उद्देश्य लाभ और हानि के विवरण में कुछ मदों के वर्गीकरण और प्रकटीकरण को निर्धारित करना है ताकि सभी उद्यम एक समान आधार पर ऐसा विवरण तैयार और प्रस्तुत करें।

(ii) तदनुसार, इस मानक में असाधारण और पूर्व अवधि की वस्तुओं का वर्गीकरण और प्रकटीकरण, और सामान्य गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर कुछ वस्तुओं का प्रकटीकरण आवश्यक है।

यह लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के लिए लेखांकन उपाय और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के संबंध में वित्तीय विवरणों में किए जाने वाले प्रकटीकरण को भी विनिर्दिष्ट करता है।

(iii) आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों पर वक्तव्यों की प्रस्तावना के पैराग्राफ 4.3 में कहा गया है कि लेखांकन मानकों का उद्देश्य केवल उन मदों पर लागू करना है जो महत्वपूर्ण हैं। चूँकि महत्वपूर्णता को वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि सभी बैंकों को किसी भी पूर्व अवधि की आय या पूर्व अवधि के व्यय की मद के संबंध में लेखांकन मानक के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए जो बैंक की कुल आय/कुल व्यय का एक प्रतिशत से अधिक है यदि आय/व्यय की गणना सकल आधार पर की जाती है या करों से पहले निवल लाभ का एक प्रतिशत या निवल घाटा जैसा भी मामला हो यदि आय की गणना लागत से पहले की जाती है।

(iv) चूँकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत फॉर्म बी में निर्धारित बैंक के लाभ और हानि खातों के प्रारूप में, वर्तमान वर्ष के लाभ और हानि पर पूर्व अवधि की वस्तुओं के प्रभाव के प्रकटीकरण के लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं है, ऐसे प्रकटीकरण, जहां भी आवश्यक हो, बैंक की तुलनपत्र के 'खातों के टिप्पणियाँ' में किया जा सकता है।

(2) लेखांकन मानक 9 - राजस्व मान्यता

गैर-निष्पादित अग्रिमों और गैर-निष्पादित निवेशों के मामले में बैंकों द्वारा आय की गैर-मान्यता, भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामक निर्देशों के अनुपालन में, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा योग्यता को आकर्षित नहीं करेगा क्योंकि यह मानक के प्रावधान के अनुरूप होगा, क्योंकि यह राजस्व की मान्यता के स्थगन को मान्यता देता है जहां राजस्व की संग्रहणीयता काफी अनिश्चित है।

(3) लेखांकन मानक 11 - विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव

एएस 11 को विदेशी मुद्राओं में लेनदेन के लेखांकन के संदर्भ में लागू किया जाता है। इस संदर्भ में उत्पन्न होने वाले मुद्दों की पहचान की गई है और मानक के प्रावधानों का अनुपालन करते समय बैंकों को निम्नलिखित द्वारा निर्देशित किया जाएगा:

(i) विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए विनिमय दर

(ए) मानक के पैराग्राफ 9 और 21 के अनुसार, एक विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर दर्ज किया जाएगा, लेनदेन की तारीख पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा राशि पर लागू करके। किसी बैंक को उन मदों के संबंध में लेनदेन की तारीख

पर प्रचलित विनिमय दर को लागू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है जो भारतीय रुपये में दर्ज नहीं किए जा रहे हैं या वर्तमान में एक काल्पनिक विनिमय दर का उपयोग करके दर्ज किए जा रहे हैं।

(बी) एक बैंक, जो एएस 11 के तहत आवश्यक विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर को लागू करने की स्थिति में है, आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा। एक बैंक, जिसके पास व्यापक शाखा नेटवर्क है, विदेशी मुद्रा लेनदेन की उच्च मात्रा है और प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है, उसे निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा:मानक का पैराग्राफ 10, व्यावहारिक कारणों से, लेनदेन की तारीख पर वास्तविक दर के अनुमानित दर के उपयोग की अनुमति देता है मानक में यह भी कहा गया है कि यदि विनिमय दरों में काफी उतार-चढ़ाव होता है, तो अवधि के लिए औसत दर का उपयोग अविश्वसनीय है। चूंकि उद्यमों को लेनदेन की घटना की तारीख पर लेनदेन रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है, इसलिए संबंधित सप्ताह में होने वाले लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए विगत सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर का उपयोग किया जा सकता है, यदि यह लेनदेन की तारीख पर वास्तविक दर के अनुमान के बराबर है। लेन-देन की तारीखों पर विनिमय दरों को लागू करने में बैंक को होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए और चूंकि मानक लेनदेन की तारीख पर वास्तविक दर के अनुमानित दर के उपयोग की अनुमति देता है, बैंक नीचे दिए गए औसत दरों का उपयोग कर सकता है:

(i) फेडाई प्रत्येक सप्ताह के अंत में एक साप्ताहिक औसत समापन दर और प्रत्येक तिमाही के अंत में विभिन्न मुद्राओं के लिए एक त्रैमासिक औसत समापन दर प्रकाशित करता है।

(ii) उन विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में, जो वर्तमान में लेनदेन की तारीख पर भारतीय रुपये में दर्ज नहीं किए जा रहे हैं या एक काल्पनिक विनिमय दर का उपयोग करके दर्ज किए जा रहे हैं, अब लेनदेन की तारीख पर फेडाई द्वारा प्रकाशित विगत सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर का उपयोग करके रिकॉर्ड किया जाएगा, यदि लेनदेन की तारीख पर वास्तविक दर अनुमानित है।

(iii) यदि विगत सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर लेनदेन की तारीख पर वास्तविक दर के करीब नहीं है, तो लेनदेन की तारीख पर समापन दर का उपयोग किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, विगत सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर को लेनदेन की तारीख

पर वास्तविक दर का अनुमान नहीं माना जाएगा यदि (ए) विगत सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर और (बी) लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर के बीच का अंतर (बी) के साढ़े तीन प्रतिशत से अधिक है।

(iv) किसी बैंक को लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए खुद को सुसज्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ii) **समापन दर**

मानक के अनुच्छेद 7 में 'समापन दर' को तुलन-पत्र की तिथि पर विनिमय दर के रूप में परिभाषित किया गया है। बैंकों के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, प्रासंगिक लेखा अवधि के लिए लेखांकन मानक 11 (संशोधित 2003) के प्रयोजनों के लिए लागू की जाने वाली समापन दर, उस लेखा अवधि के लिए फेडाई द्वारा घोषित अंतिम समापन स्पॉट विनिमय दर होगी

(4) लेखांकन मानक 17 - प्रखण्ड लेखांकन

एएस 17 - खंड रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण के लिए संकेतक प्रारूप नीचे दिए गए हैं।

प्रारूप

भाग ए: व्यवसाय खंड

(राशि ₹ करोड़ में)

व्यापार खंड →	कोषागार		कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग व्यवसाय		कुल	
विवरण ↓	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
राजस्व										
परिणाम										
अनाबंटित व्यय										
परिचालन लाभ										
आय कर										
असाधारण लाभ/हानि										
निवल लाभ										
अन्य जानकारी:										

व्यापार खंड →	कोषागार		कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग व्यवसाय		कुल	
विवरण ↓	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
खंड की आस्ति										
अविभाजित आस्तियां										
कुल आस्ति										
खंड देयताएँ										
अविभाजित देयताएँ										
कुल देयताएँ										

नोट (1): छायांकित भाग में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है

नोट (2):

ए) व्यापार खंड 'कोषागार'; 'कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग'; 'रिटेल बैंकिंग' और 'अन्य बैंकिंग संचालन' होंगे।

बी) एक बैंक, उचित और सुसंगत आधार पर, खंडों के बीच व्यय के आवंटन के लिए अपनी स्वयं की विधियों को अपनाएगा।

सी) 'कोषागार' में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो शामिल होगा।

डी) रिटेल बैंकिंग में ऐसे एक्सपोजर शामिल होंगे जो भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में निर्धारित खुदरा *एक्सपोजर* के लिए अभिविन्यास, उत्पाद, ग्रेन्युलैरिटी और व्यक्तिगत एक्सपोजर के कम मूल्य के चार मानदंडों को पूरा करते हैं। व्यक्तिगत आवास ऋण भी रिपोर्टिंग के उद्देश्य से खुदरा बैंकिंग खंड का हिस्सा होंगे।

ई) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग में ट्रस्टों, साझेदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं, जो 'खुदरा बैंकिंग' के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

एफ) अन्य बैंकिंग व्यवसाय में ट्रेजरी', थोक बैंकिंग' और खुदरा बैंकिंग' खंडों के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए अन्य सभी बैंकिंग संचालन शामिल हैं। इसमें पैरा बैंकिंग लेनदेन/गतिविधियों जैसे अन्य सभी अवशिष्ट संचालन भी शामिल होंगे।

जी) उपरोक्त खंडों के अलावा, एक बैंक 'अन्य बैंकिंग व्यवसाय' के भीतर अतिरिक्त खंडों की रिपोर्ट करेगा जो रिपोर्ट करने योग्य खंडों की पहचान करने के लिए एएस 17 में निर्धारित मात्रात्मक मानदंड को पूरा करते हैं।

(5) लेखांकन मानक 18 - सम्बद्ध पक्षकार अभिव्यक्ति

एएस 18 के पैराग्राफ 23 से 26 द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण का तरीका नीचे दर्शाया गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि नीचे दिया गया प्रारूप केवल उदाहरण स्वरूप है और यह संपूर्ण नहीं है।

(करोड़ रु. में राशि)

मद/संबंधित पार्टी	जनक (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहायक	एसोसिएट्स / संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	मुख्य प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार	कुल
उधार#						
जमा#						
जमा का प्लेसमेंट #						
अग्रिम#						
निवेश#						
गैर वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं #						
लीजिंग /एचपी व्यवस्था का लाभ उठाना#						
लीजिंग /एचपी व्यवस्था प्रदान करना						
अचल आस्तियों की खरीद						
स्थिर आस्ति की बिक्री						
ब्याज का						
प्राप्त ब्याज						
सेवाओं का प्रदान करना *						

मद/संबंधित पार्टी	जनक (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहायक	एसोसिएट्स / संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	मुख्य प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार	कुल
सेवाओं की प्राप्ति *						
प्रबंधन अनुबंध*						

#वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम राशि का *प्रकटीकरण* किया जाना है

*अनुबंध सेवाएं आदि और प्रेषण सुविधाओं, लॉकर सुविधाओं आदि जैसी सेवाएं नहीं।

टिप्पणियाँ:

i) बैंक के लिए संबंधित पक्ष उसके मूल, सहायक (सहायकों), सहयोगी/संयुक्त उद्यम, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) और केएमपी के रिश्तेदार हैं। केएमपी एक भारतीय बैंक के पूर्णकालिक निदेशक हैं। केएमपी के रिश्तेदार आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 एस में दर्शाए गए अनुसार होंगे

ii) संबंधित पार्टी संबंध का नाम और प्रकृति का प्रकटीकरण किया जाएगा, भले ही लेनदेन हुआ हो, जहां मानक के अर्थ के भीतर नियंत्रण मौजूद है। मूल-अनुषंगी संबंध के मामले में नियंत्रण सामान्य रूप से मौजूद होगा। प्रकटीकरण उपरोक्त संबंधित पार्टी श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए कुल तक सीमित हो सकते हैं और वर्ष के अंत की स्थिति के साथ-साथ वर्ष के दौरान अधिकतम स्थिति से संबंधित होंगे।

iii) गोपनीयता प्रावधान: यदि उपरोक्त श्रेणी के संबंधित पक्षों में से किसी में केवल एक संबंधित पक्ष इकाई है, तो कोई भी प्रकटीकरण ग्राहक गोपनीयता के उल्लंघन के बराबर होगा। एएस 18 के संदर्भ में, प्रकटीकरण आवश्यकताएं उन परिस्थितियों में लागू नहीं होती हैं जब इस तरह के प्रकटीकरण प्रदान करने से रिपोर्टिंग उद्यम के गोपनीयता के कर्तव्य का टकराव होगा, जैसा कि विशेष रूप से कानून, विनियामक या समान सक्षम प्राधिकारी के संदर्भ में आवश्यक है। इसके अलावा, यदि किसी उद्यम को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या विनियामक उद्यम को कुछ जानकारी प्रकट करने से रोकता है, जिसे प्रकट करने की आवश्यकता है, तो ऐसी जानकारी का अप्रकटीकरण लेखांकन मानकों के साथ अननुपालन नहीं माना जाएगा। ग्राहक विवरण की गोपनीयता बनाए रखने के बैंक के न्यायिक रूप से निर्धारित सामान्य कानूनी कर्तव्य के कारण, इसे ऐसे प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त को देखते हुए, जहां लेखांकन मानकों के तहत संबंधित पक्ष के किसी भी श्रेणी के संबंध में समेकित प्रकटीकरण नहीं है, अर्थात, जहां संबंधित पक्ष की किसी भी श्रेणी में केवल एक इकाई है, तो

बैंक को उस संबंधित पक्ष के साथ संबंध के अलावा उस संबंधित पक्ष से संबंधित कोई भी विवरण प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

(6) लेखांकन मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरणो में निविशो हेतु लेखांकन (सीएफएस) (ए) यह लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) में, समूह की वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों पर सहयोगियों में निवेश के प्रभावों को पहचानने के लिए सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।

(बी) मानक की आवश्यकता है कि एक सहयोगी में निवेश को इक्विटी पद्धति के तहत सीएफएस में कुछ अपवादों के अधीन माना जाएगा।

(सी) 'एसोसिएट' शब्द को एक ऐसे उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और जो निवेशक का सहायक या संयुक्त उद्यम नहीं होता है।

(डी) 'महत्वपूर्ण प्रभाव' निवेशकर्ता के वित्तीय और/या परिचालन नीतिगत निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण नहीं है। इस तरह का प्रभाव शेयर स्वामित्व, कानून या समझौते से प्राप्त किया जा सकता है।

(ई) जहां तक शेयर स्वामित्व का सवाल है, यदि कोई निवेशक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से, निवेशित कंपनी की 20 प्रतिशत या उससे अधिक वोटिंग शक्ति रखता है, तो यह माना जाता है कि निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव है, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सके कि ऐसा नहीं है। इसके विपरीत, यदि निवेशक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से, निवेशित की 20 प्रतिशत से कम मतदान शक्ति रखता है, तो यह माना जाता है कि निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, जब तक कि ऐसा प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। किसी अन्य निवेशक द्वारा पर्याप्त या बहुमत स्वामित्व आवश्यक रूप से किसी निवेशक को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने से नहीं रोकता है।

(एफ) मुद्दा यह है कि क्या किसी बैंक द्वारा किसी उद्यम में ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण, जिसके द्वारा बैंक के पास 20 प्रतिशत से अधिक है, एएस 23 के प्रयोजन के लिए निवेशक-सहयोगी संबंध होगा। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यद्यपि कोई बैंक अपने अग्रिमों की संतुष्टि में उधारकर्ता इकाई में 20 प्रतिशत से अधिक मतदान प्रभाव प्राप्त कर सकता है, फिर भी यह प्रदर्शित करने में सक्षम हो सकता है कि उसके पास महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करने की शक्ति नहीं है क्योंकि उसके द्वारा प्रयोग किए गए अधिकार प्रकृति में प्रतिभूतित्मक हैं और सहभागी नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे निवेश को इस लेखांकन मानक के तहत सहयोगी में निवेश के रूप में

नहीं माना जा सकता है। इसलिए, परीक्षण केवल निवेश का अनुपात नहीं होगा, बल्कि महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त करने का इरादा होगा।

(7) लेखांकन मानक 24 –संचालन बंद करना

(i) यह मानक परिचालनों को समाप्त करने के बारे में जानकारी की रिपोर्टिंग के लिए सिद्धांत स्थापित करता है।

(ii) उसी बैंक की अन्य शाखाओं में आस्तियों/देयताओं को अंतरित करके बैंक की शाखाओं के विलयन /बंद करने को परिचालन की समाप्ति न समझा जाए तथा इसलिए यह लेखा मानक उसी बैंक की अन्य शाखाओं में आस्तियों/देयताओं को अंतरित करके बैंक की शाखाओं के विलायन /बंद किए जाने पर लागू नहीं होगा

(iii) प्रकटीकरण केवल तभी मानक के तहत आवश्यक होंगे:

(ए) परिचालन बंद करने के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा देनदारी से मुक्ति और परिसंपत्तियों की वसूली हुई है, या उपरोक्त प्रभाव डालने वाले किसी परिचालन को बंद करने का निर्णय बैंक द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है और

(बी) बंद किया गया संचालन अपनी संपूर्णता में पर्याप्त है।

(8) लेखांकन मानक 25 - अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग

(i) यह मानक अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट की न्यूनतम सामग्री और अंतरिम अवधि के लिए पूर्ण या संक्षिप्त वित्तीय विवरणों में मान्यता और माप के सिद्धांतों को निर्धारित करता है।

(ii) सूचीबद्ध समझौते के संदर्भ में सूचीबद्ध बैंक द्वारा की जाने वाली प्रकटीकरण अंतरिम रिपोर्टिंग के बराबर नहीं होगी जैसा कि एएस 25 के तहत परिकल्पित है और इस प्रकार सूचीबद्ध बैंक के लिए निर्धारित त्रैमासिक रिपोर्टिंग के लिए एएस 25 अनिवार्य नहीं है।

(iii) एएस 25 के तहत निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों का हालांकि, ऐसी त्रैमासिक रिपोर्टों के संबंध में अनुपालन किया जाएगा।

(9) लेखांकन मानक 26 - अमूर्त आस्ति

(i) यह मानक उन अमूर्त आस्तियों के लिए लेखांकन उपाय निर्धारित करता है जो किसी अन्य लेखांकन मानक में विशेष रूप से नहीं निपटाए जाते हैं।

(ii) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में जिसे बैंक के उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया है और कुछ समय तक उपयोग में रहने की उम्मीद है, मानक में निर्धारित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में

विस्तृत मान्यता और परिशोधन सिद्धांत इन मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित करता है और बैंक द्वारा इसका पालन किया जा सकता है।

(iii) ध्यान दें कि एएस 26 के तहत बैंक के तुलन-पत्र में दिखाई गई और शामिल की गई अमूर्त आस्तियों पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 15(1) के प्रावधान लागू होंगे। इस धारा के अनुसार, जब तक तुलन-पत्र में ऐसी कोई भी आस्ति शामिल है जो मूर्त आस्ति नहीं है, तब तक बैंक कोई भी लाभांश घोषित नहीं कर सकता।

(iv) किसी बैंक को अपनी बहियों में किसी भी अमूर्त आस्ति को ले जाने के दौरान लाभांश का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार से बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 15 (1) से छूट लेनी चाहिए।

(10) लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यम में हित का वित्तीय प्रतिवेदन यह मानक संयुक्त उद्यमों में हितों के लिए लेखांकन और संयुक्त उद्यम आस्तियों, देयताओं, आय और उद्यमों और निवेशकों के वित्तीय विवरणों में खर्चों की रिपोर्टिंग में लागू होता है, चाहे संयुक्त उद्यम गतिविधियां किन संरचनाओं या रूपों के तहत होती हों।

(i) यह मानक संयुक्त उद्यमों के तीन व्यापक प्रकारों की पहचान करता है, अर्थात्, संयुक्त रूप से नियंत्रित संचालन, संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्ति और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं।

(ii) संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के मामले में, जहां एक बैंक को सीएफएस प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, संयुक्त उद्यमों में निवेश की इस मानक के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाएगी। संयुक्त रूप से नियंत्रित संचालन और संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियों के रूप में संयुक्त उद्यमों के संबंध में, यह लेखा मानक एकल वित्तीय विवरणों के साथ-साथ सीएफएस दोनों के लिए लागू है।

(iii) यह स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि लेखांकन मानक के पैराग्राफ 26 में यह निर्धारित किया गया है कि एकल वित्तीय विवरणों के प्रयोजन के लिए, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में निवेश को एएस 13 के अनुसार लेखांकित किया जाना है, ऐसे निवेश को आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाना है क्योंकि एएस 13 बैंकों पर लागू नहीं होता है।

(iv) किसी बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी को सहयोगी माना जाएगा और आरआरबी में निवेश के लिए एएस 27 लागू नहीं होगा। हालांकि, आरआरबी में निवेश की एएस 23 के प्रावधानों के अनुसार सीएफएस में गणना की जाएगी।

(11) लेखांकन मानक 28 - संम्पत्तियो में व्यवधान

(i) यह मानक उन प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जो एक उद्यम यह सुनिश्चित करने के लिए लागू करता है कि उसकी आस्ति को उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं ले जाया जाए।

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि मानक इन्वेंट्री, निवेश और अन्य वित्तीय आस्तियों जैसे ऋण और अग्रिम पर लागू नहीं होगा और आम तौर पर एक बैंक पर लागू होगा जहां तक यह निश्चित आस्तियों से संबंधित है।

(iii) मानक आम तौर पर वित्तीय पट्टा आस्तियों और गैर-बैंकिंग दावों के निपटान में अधिग्रहित आस्तियों पर तभी लागू होगा जब इकाई की हानि के संकेत स्पष्ट हों।

अध्याय-III वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण – लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

7. एक बैंक इस अध्याय में विनिर्दिष्ट जानकारी को वित्तीय विवरणों के ' लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' में प्रकट करेगा।

स्पष्टीकरण 1: इन खुलासों का उद्देश्य केवल पूरक है और अन्य कानूनों, विनियमों या लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताओं को प्रतिस्थापित करना नहीं है।

स्पष्टीकरण 2: एक बैंक को ऐसे प्रकटीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो इन निदेशों के तहत आवश्यक न्यूनतम से अधिक व्यापक हैं, खासकर यदि ऐसे प्रकटीकरण वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन की समझ में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करते हैं।

ए. सामान्य

8. इन निदेशों में सूचीबद्ध वस्तुओं को वित्तीय विवरणों के 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' में प्रकट किया जाएगा। जहां आवश्यक हो, बैंक को अतिरिक्त प्रकटीकरण करने होंगे।

बी. प्रस्तुतीकरण

9. तुलनपत्र के अनुसूची के अलावा, 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों' और 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' का सारांश अलग अनुसूची के रूप में प्रकट किया जाएगा।

सी. प्रकटीकरण आवश्यकताएं

10. बैंक, न्यूनतम रूप से, 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा। बैंक ध्यान देगा कि प्रकटीकरण टेम्पलेट में किसी गतिविधि, लेनदेन या मद का उल्लेख मात्र यह नहीं दर्शाता है कि इसकी अनुमति है, और बैंक किसी गतिविधि या लेनदेन की अनुमति या अन्यथा का निर्धारण करते समय मौजूदा सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं का उल्लेख करेगा। बैंक वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों में बताई गई सभी राशियों के लिए पिछली अवधि के संबंध में तुलनात्मक जानकारी प्रकट करेगा। इसके अलावा, बैंक कथनात्मक और वर्णनात्मक जानकारी के लिए तुलनात्मक जानकारी शामिल करेगा यदि यह वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों को समझने के लिए प्रासंगिक है।

(1) **विनियामक पूंजी**

(i) **विनियामक पूंजी की संरचना**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**विवरण**	**वर्तमान वर्ष**	**विगत वर्ष**
i)	टियर 1 पूंजी		
ii)	टियर 2 पूंजी		
iii)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2) (i + ii)		
iv)	कुल जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए)		
v)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)		
vi)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)		
vii)	पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)		
viii)	शेयरधारिता का प्रतिशत a) भारत सरकार b) राज्य सरकार (नाम विनिर्दिष्ट करें) c) प्रायोजक बैंक (नाम विनिर्दिष्ट करें)		
ix)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि		
x)	वर्ष के दौरान जुटाए गए शाश्वत ऋण लिखतों की राशि		

(ii) **आरक्षित से आहरण:** आरक्षित से आहरण के संबंध में राशि और आहरण के औचित्य का उल्लेख करते हुए उपयुक्त प्रकटीकरण किए जाएंगे।

(2) **आस्ति देयता प्रबंधन**

(i) **आस्तियों और देयताओं की कुछ वस्तुओं का परिपक्वता पैटर्न**

(राशि ₹ करोड़ में)

	पहला दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन तक 2 महीने	2 महीने से अधिक और 3	3 महीने से अधिक	6 महीने से अधिक	1 वर्ष से अधिक और	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 से अधिक वर्ष	कुल
जमा												
अग्रिम												

	पहला दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन तक 2 महीने	2 महीने से अधिक और 3	3 महीने से अधिक	6 महीने से अधिक	1 वर्ष से अधिक और	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 से अधिक वर्ष	कुल
निवेश												
उधारियां												
विदेशी मुद्रा आस्तियां												
विदेशी मुद्रा देयताएँ												

नोट: एक बैंक को आस्ति देयता पर संबंधित दिशानिर्देशों के लिए समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आस्ति देयता प्रबंधन) निदेश, 2025 द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

(3) **निवेश**

जैसा कि ..... (वर्तमान वर्ष की तुलनपत्र दिनांक)

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बांड	सहायक और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल												
घटाएँ: अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान												
निवल												
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल												
घटाएँ: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान												

निवल												
ट्रेडिंग के लिए रखा गया												
सकल												
घटाएँ: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												
कुल निवेश												
घटाएँ: अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान												
घटाएँ: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												

जैसा कि ....। (विगत वर्ष की तुलनपत्र दिनांक)

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बांड	सहायक और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल												
घटाएँ: अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान												
निवल												
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल												
घटाएँ: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												
ट्रेडिंग के लिए रखा गया												
सकल												
घटाएँ: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												

कुल निवेश												
घटाएँ: अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान												
घटाएँ: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												

(i) **निवेश पर मूल्यह्रास के प्रावधानों का संचलन, अनर्जक निवेश (एनपीआई) और निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित (आईएफआर)**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
i) निवेश और एनपीआई के मूल्यह्रास की ओर रखे गए प्रावधानों की गतिविधि		
क) प्रारम्भिक शेष		
ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
ग) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / राईट बेक		
घ) अंतिम शेष		
ii) निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व की गतिविधि		
क) प्रारम्भिक शेष		
ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि		
ग) घटाएं: आहरण द्वारा कमी/ गिरावट		
घ) अंतिम शेष		
iii) एएफएस और एचएफटी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष [निवल मूल्य को निवल मूल्यह्रास (निवल मूल्यवृद्धि को अनदेखा करते हुए) अर्थात तुलनपत्र में प्रतिबिंबित निवल राशि]।		

(ii) **एचटीएम श्रेणी में बिक्री और अंतरण:** एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के मामले में, एक आरआरबी वित्तीय विवरणों के 'लेखांकन की टिप्पणियों'में प्रकटीकरण करेगा।

(iii) **गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो**

(ए) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
ए)	प्रारंभिक जमा		
बी)	पहले अप्रैल के बाद से वर्ष के दौरान परिवर्धन		

क्र.	विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
सी)	उक्त अवधि के दौरान कटौती		
डी)	समापन शेष राशि		
ई)	कुल प्रावधान रखे गए		

(बी) गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संघटन

(राशि ₹ करोड़ में)

सं. क्र.	जारीकर्ता	राशि		निजी नियोजन की सीमा		'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूतियों की सीमा		'अनरेटेड' प्रतिभूति यों की सीमा		'असूचीबद्ध' प्रतिभूति यों की सीमा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
ए)	पीएसयू										
बी)	एफआई										
सी)	बैंकों										
डी)	निजी कॉर्पोरेट										
ई)	सहायक/संयुक्त उद्यम										
एफ)	अन्य										
जी)	मूल्यह्रास के प्रति प्रावधान रखा गया										
	कुल *										

टिप्पणियाँ:

1. बैंक के लिए, मांगम 3 के तहत कुल तुलनपत्र की अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के तहत शामिल निवेशों के कुल योग से मेल खाना चाहिए:

(ए) भारत में निवेश

i) शेयर
ii) डिबेंचर और बांड
iii) सहायक और/या संयुक्त उद्यम
iv) अन्य

(बी) भारत के बाहर निवेश (जहां लागू हो)

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)

ii) विदेशों में अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम

iii) अन्य निवेश

2. ऊपर मांगम 4, 5, 6 और 7 के तहत बताई गई राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हो सकती हैं।

(iv) **रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के संदर्भ में)**

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया**		**वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया**		**31 मार्च को बकाया**	
	एफ वी	**एम वी**	**एफ वी**	**एम वी**	**एफ वी**	**एम वी**	**एफ वी**	**एम वी**
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ सी) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ								
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ सी) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ								

नोट:

(i) 'एफवी' का अर्थ है अंकित मूल्य और 'एमवी' का अर्थ है बाजार मूल्य।

(ii) प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो)) निदेश, 2025, में समय-समय पर संशोधित रूप में निर्दिष्ट अनुसार होगा। सुगम संदर्भ के लिए, इस मुख्य निदेश के जारी होने की तिथि के अनुसार प्रकटीकरण टेम्पलेट को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है।

(v) **सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)**

जैसा कि.... (वर्तमान वर्ष की तुलनपत्र दिनांक)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेन-देन की कुल मात्रा	31 मार्च को बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ					

जैसा कि .... (विगत वर्ष की तुलनपत्र दिनांक)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेन-देन की कुल मात्रा	31 मार्च को बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ					

नोट: प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूति उधार) निदेश, 2023 में समय-समय पर संशोधित रूप में निर्दिष्ट अनुसार होगा। सुगम संदर्भ के लिए, इस निदेश के जारी होने की तिथि के अनुसार प्रकटीकरण टेम्पलेट यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है।

(4) **आस्ति की गुणवत्ता**

(i) **उधार और रखे गए प्रावधानों का वर्गीकरण**

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल अनर्जकअग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन						
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती*						
समापन शेष राशि						
*सकल एनपीए में कमी के कारण:						
i) उन्नयन						
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)						
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण						
iv) ऊपर (iii) के अंतर्गत आने वालों के अलावा अन्य राइट-ऑफ़						
प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर)						
प्रावधानों की शेष राशि को खोला गया						
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए ताजे प्रावधान						

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल अनर्जकअग्रिम	
घटाएँ: अतिरिक्त प्रावधान वापिस लेना/राइट-ऑफ ऋण						
रखे गए प्रावधानों का अंतिम शेष						
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन						
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती						
समापन शेष						
फ्लोटिंग प्रावधान						
प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						
घटाएँ: वर्ष के दौरान कम की गई राशि (आहरण के लिए तर्क को तालिका के नीचे एक नोट के माध्यम से समझाया जा सकता है)						
फ्लोटिंग प्रावधानों की अंतिम शेष राशि						

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	**अवमानक**	**संदिग्ध**	**नुकसान**	**कुल अनर्जकअग्रिम**	
तकनीकी राइट-ऑफ और उस पर की गई वसूली						
तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाला गया प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट-ऑफ वर्ष के दौरान						
घटाएँ: वर्ष के दौरान पहले तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाली गई वसूली						
समापन शेष राशि						

नोट -

1) लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में जानकारी देते समय, बैंक तुलना में सुविधा के लिए चालू और पिछले वर्ष दोनों के आंकड़े अनिवार्य रूप से प्रदान करेगा

2) तकनीकी अथवा विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना शाखाओं के बहीखातों में बकाया अनर्जकगैर ऋणों का, जिन्हें प्रधान कार्यालय स्तर पर (पूर्ण अथवा आंशिक रूप से) बट्टे खाते में डाल दिया गया है। तकनीकी बट्टे खाते में डालने की पुष्टि सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी। 3) जहां तक सामान्य प्रावधानों और हानि आरक्षित को टियर 2 पूंजी के लिए नहीं गिना गया है, उन्हें सकल एनपीए से घटाकर निवल एनपीए प्राप्त किया जा सकता है।

अनुपात (प्रतिशत में) (लागू विनियामक निदेशों के अनुसार गणना की जानी है)	**वर्तमान वर्ष**	**विगत वर्ष**

सकल एनपीए से सकल अग्रिम		
नेट एनपीए से नेट अग्रिम		
प्रावधान कवरेज अनुपात		

(ii) **क्षेत्र-वार अग्रिम और सकल एनपीए**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं	**क्षेत्र**	**वर्तमान वर्ष**			**विगत वर्ष**		
		बकाया कुल अग्रिम	**सकल एनपीए**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के लिए सकल एनपीए का प्रतिशत**	**बकाया कुल अग्रिम**	**सकल एनपीए**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के लिए सकल एनपीए का प्रतिशत**
i)	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियां						
बी)	उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में अग्रिम						
सी)	सेवाएँ						
डी)	व्यक्तिगत ऋण						
	उप-कुल (i)						
ii)	**गैर-प्राथमिकता क्षेत्र**						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियां						

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			विगत वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के लिए सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के लिए सकल एनपीए का प्रतिशत
बी)	उद्योग						
सी)	सेवाएँ						
डी)	व्यक्तिगत ऋण						
	उप कुल (ii)						
	कुल (I +ii)						

*एक बैंक उपरोक्त प्रारूप में भी प्रकटीकरण करेगा, उप क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम उस क्षेत्र को कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक है। उदाहरण के लिए, यदि खनन उद्योग को बैंक के बकाया अग्रिम 'उद्योग' क्षेत्र को बकाया कुल अग्रिम के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो यह खनन को अपने बकाया अग्रिम का विवरण 'उद्योग' क्षेत्र के तहत उपरोक्त प्रारूप में अलग से प्रकट करेगा।

(iii) **पुनर्गठन के अधीन खातों का विवरण (जैसा कि लागू नियमों के अनुसार परिभाषित किया गया है)**

		कृषि और संबद्ध गतिविधियां		निगम (एमएसएमई को छोड़कर)		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)		खुदरा (कृषि और एमएसएमई को छोड़कर)		कुल	
		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
मानक	उधारकर्ताओं की संख्या										
	सकल राशि (₹ करोड़)										
	प्रावधान रखा गया (₹ करोड़)										
अवमानक	उधारकर्ताओं की संख्या										
	सकल राशि (₹ करोड़)										
	प्रावधान रखा गया (₹ करोड़)										
संदिग्ध	उधारकर्ताओं की संख्या										
	सकल राशि (₹ करोड़)										
	प्रावधान रखा गया (₹ करोड़)										
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या										
	सकल राशि (₹ करोड़)										
	प्रावधान रखा गया (₹ करोड़)										

एक बैंक अपनी प्रकाशित वार्षिक तुलनपत्र में उन खातों की राशि और संख्या का प्रकटीकरण करेगा जिनके संबंध में पुनर्गठन के लिए आवेदन प्रक्रियाधीन हैं, लेकिन पुनर्गठन पैकेज अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं।

(iv) **ऋण जोखिम के हस्तांतरण का प्रकटीकरण**

ऋणदाता अपने वित्तीय विवरणों में 'लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ' के तहत, कुल ऋणों की राशि के संबंध में उचित प्रकटीकरण करेगा जो चूक/दबावग्रस्त ऋणों में स्थानांतरित और अन्य संस्थाओं को/से प्राप्त किए गए हैं, नीचे निर्धारित अनुसार, तिमाही आधार पर:

(ए) चूक में नहीं ऋण के संबंध में हस्तांतरित या अधिग्रहित किया जाता है, प्रकटीकरण को शामिल करना चाहिए, अन्य बातों के अलावा, भारित औसत परिपक्वता, भारित औसत होल्डिंग अवधि, लाभकारी आर्थिक ब्याज का प्रतिधारण, मूर्त प्रतिभूति कवरेज का कवरेज, और रेटिंग वार रेटेड ऋणों का वितरण। विशेष रूप से, एक अंतरणकर्ता को उन सभी उदाहरणों का प्रकटीकरण करना चाहिए जहां उसने अंतरिती (ओं) को हस्तांतरित ऋणों को बदलने या किसी प्रतिनिधित्व या वारंटी से उत्पन्न होने वाले नुकसान का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। प्रकटीकरण में असाइनमेंट/नोवेशन और ऋण भागीदारी के माध्यम से स्थानांतरित/अधिग्रहीत किए गए ऋणों का विवरण भी प्रदान किया जाना चाहिए।

(बी) दबावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरित या अधिग्रहीत होने की स्थिति में, निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाने चाहिए:

वर्ष के दौरान हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग से बनाया जाना है)			
(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत अंतरणकर्ताओं के लिए	अन्य अंतरणकर्ताओं को (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
खातों की संख्या			
स्थानांतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन			
स्थानांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि			

वर्ष के दौरान हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग से बनाया जाना है)			
स्थानांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (स्थानांतरण के समय)			
कुल विचार			
पहले के वर्षों में स्थानांतरित किए गए खातों के संबंध में अतिरिक्त विचार प्राप्त हुआ			

वर्ष के दौरान प्राप्त ऋणों का विवरण		
(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में)	एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी सहित आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) से	एआरसी से
प्राप्त ऋणों का कुल बकाया मूलधन		
कुल भुगतान की गई राशि		
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि		

(सी) बदले गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा के संबंध में हस्तांतरणकर्ता को भी उचित प्रकटीकरण करना चाहिए। लाभ और हानि खाते पर दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण। साथ ही, ऋणदाता को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपे गए वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में इसके द्वारा रखे गए एसआर के वितरण का प्रकटीकरण करना चाहिए।

नोट: लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में जानकारी देते समय, तुलना को सुगम बनाने के लिए बैंक चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों के आंकड़े अनिवार्य रूप से प्रदान करेगा

(v) **गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं**

बैंक को गैर-निधि आधारित ऋण एनएफबी क्रेडिट सुविधाओं का विवरण नीचे दिए गए प्रारूप में प्रकट करना होगा।

		31st मार्च 20XX को	**31st मार्च 20XX को**	**विगत वर्ष**	**विगत वर्ष**
		प्रतिभूत* हिस्सा	**अप्रतिभूत हिस्सा**	**प्रतिभूत* हिस्सा**	**अप्रतिभूत हिस्सा**
I.	बकाया गारंटी (₹ करोड़)				
	i) भारत में				
	ii) भारत के बाहर				
II.	स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व (₹)				
III.	अन्य एनएफबी क्रेडिट सुविधाएं (₹ करोड़)				
* प्रतिभूत हिस्सा भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 के तहत परिभाषित किया गया है।					

नोट: एनएफबी क्रेडिट सीमा के संबंध में, बैंक को समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - क्रेडिट सुविधाएं) निदेश, 2025 द्वारा निर्देशित किया जाएगा। ये निदेश 1 अप्रैल, 2026 से या बैंक द्वारा अपनी आंतरिक नीति ("प्रभावी दिनांक") के अनुसार तय की गई किसी भी पूर्व दिनांक से लागू होंगे। किसी भी नई एनएफबी सुविधा का विस्तार और प्रभावी दिनांक के बाद मौजूदा एनएफबी सुविधा का नवीनीकरण इन निदेशों के अनुसार शासित होगा। प्रभावी दिनांक तक विस्तारित/नवीनीकृत सभी मौजूदा एनएफबी सुविधाएं संबंधित बैंक पर लागू मौजूदा निदेशों द्वारा शासित होंगी।

(vi) **धोखाधड़ी खाते:** एक बैंक धोखाधड़ी में शामिल संख्या और राशि के साथ-साथ नीचे दिए गए टेम्पलेट के अनुसार प्रावधान का विवरण प्रकट करेगा।

	चालू वर्ष	**विगत वर्ष**
धोखाधड़ी की रिपोर्ट की गई संख्या		
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)		
ऐसे धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)		
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित' से कटौती की गई अ-परिशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)		

(vii) **कोविड-19 से संबंधित तनाव के समाधान ढांचे के अंतर्गत प्रकटीकरण**

(ए) प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत एक विशेष अवधि दी गई है ताकि ऋणदाता पात्र कॉर्पोरेट ऋणों और व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में समाधान योजना लागू कर सकें, और ऐसे ऋणों को मानक ऋण के रूप में वर्गीकृत कर सकें।

(बी) बैंक को नीचे दिए गए प्रारूप में प्रत्येक छमाही में, यानी 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय विवरणों में, 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली छमाही से लेकर उन सभी ऋणों के पूरी तरह समाप्त होने अथवा पूरी तरह से निष्पादित आस्ति (एनपीए) में परिवर्तित होने तक, जो भी पहले हो, प्रकटीकरण करना होगा।

30 सितंबर 2021 से शुरू होने वाले अर्धवार्षिक रूप से किए जाने वाले प्रकटीकरण के लिए प्रारूप

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	**समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर- विगत छः माही(ए) के अंत में स्थिति**	**(ए) का, कुल ऋण जो छःमाही के दौरान एनपीए में फिसल गया**	**(ए) छःमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि**	**(ए) अर्ध-वर्ष के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि की**	**समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर - स्थिति के अनुसार छःमाही के अंत में**
व्यक्तिगत ऋण					
कॉर्पोरेट व्यक्ति *					
जिनमें से एमएसएमई					
अन्य					
कुल					

* दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित

नोट: एक बैंक जो लिस्टिंग आवश्यकताओं द्वारा आवश्यक नहीं है या अन्यथा त्रैमासिक/छःमाही/विवरण प्रकाशित करने के लिए आवश्यक नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरणों में पूरे वर्ष के लिए प्रकटीकरण करेगा।

(5) **एक्सपोजर**

(i) **स्थावर संपदा क्षेत्र के संपर्क में आना**

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	**वर्तमान वर्ष**	**विगत वर्ष**
i) प्रत्यक्ष एक्सपोजर ए) आवासीय बंधक उधारदार द्वारा अधिग्रहित या किराए पर ली गई आवासीय आस्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूत ऋण देना। प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण अलग से दिखाए जाएंगे। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल होगी। बी) वाणिज्यिक अचल आस्ति वाणिज्यिक अचल आस्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदारी वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। एक्सपोजर में गैर-निधिआधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल होगी। सी) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिमों में निवेश I. आवासीय II. वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्त कंपनियों पर निधि आधारित और गैर-निधि-आधारित एक्सपोजर।		
स्थावर सम्पदा क्षेत्र के लिए कुल एक्सपोजर		

(ii) **पूंजी बाजार के संपर्क में आना**

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फ़ंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है;		
ii)	शेयरों/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध अग्रिम या शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) में निवेश के लिए व्यक्तियों को स्वच्छ आधार पर परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड की इकाइयों में निवेश के लिए अग्रिम;		
iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;		
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, अर्थात जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांड/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह से कवर नहीं करती है;		
v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटी;		
vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के योगदान को पूरा करने के लिए		

विवरण		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
	शेयरों/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के विरुद्ध या स्वच्छ आधार पर कॉरपोरेट्स को स्वीकृत ऋण		
vii)	उम्मीद इक्विटी प्रवाह/मुद्दों के विरुद्ध कंपनियों को ब्रिज ऋण;		
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;		
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण;		
x)	सभी जोखिम वेंचर कैपिटल निधि (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए		
पूंजी बाजार के लिए कुल एक्सपोज़र			

एक बैंक उन रेखा मदों को छोड़ सकता है जो लागू/अनुमत नहीं हैं या वर्तमान और विगत वर्ष दोनों में शून्य एक्सपोजर हैं।

(iii) **जोखिम श्रेणी के अनुसार देश एक्सपोज़र**

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी *	**मार्च तक एक्सपोजर (नेट) (चालू वर्ष)**	**मार्च तक रखा गया प्रावधान (चालू वर्ष)**	**मार्च तक** एक्सपोजर **(नेट) (पिछला वर्ष)**	**मार्च तक रखा गया प्रावधान (पिछला वर्ष)**
अमहत्वपूर्ण				
कम				
मध्यम रूप से घटाई				
मध्यम				
मध्यम रूप से उच्च				
उच्च				
अति उच्च				
कुल				

*जब तक कोई बैंक आंतरिक रेटिंग प्रणालियों में नहीं जाता है, तब तक वह वर्गीकरण के उद्देश्य से और देश जोखिम के प्रावधानों के लिए सात-श्रेणी वर्गीकरण का उपयोग करेगा। ईसीजीसी अनुरोध पर बैंक को उनके देश वर्गीकरण का त्रैमासिक अद्यतन प्रदान करेगा और अंतरिम अवधि में देश वर्गीकरण में किसी भी अचानक बड़े बदलाव की स्थिति में बैंकों को सूचित करेगा।

नोट: यदि किसी बैंक का वर्तमान और विगत वर्ष दोनों में देश जोखिम के लिए कोई जोखिम नहीं है, तो यह उल्लेख करते हुए तालिका का प्रकटीकरण छोड़ सकता है कि इसका देश जोखिम के लिए कोई जोखिम नहीं है।

(iv) **अप्रतिभूत अग्रिम**

एक बैंक उन अग्रिमों की कुल राशि का प्रकटीकरण करेगा जिनके लिए अचल प्रतिभूतियाँ जैसे कि अधिकारों पर प्रभार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि लिए गए हैं, साथ ही निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार ऐसी अचल संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य भी।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**वर्तमान वर्ष**	**विगत वर्ष**
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम		
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अधिशेष प्रतिभूतियाँ जैसे कि अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि पर प्रभार लिया गया है		
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य		

(v) **फेक्टरिंग एक्सपोजर**: फैक्टरिंग एक्सपोजर को अलग से प्रकट किया जाएगा।

(vi) **अंतर-समूह एक्सपोजर:** एक बैंक को विगत वर्ष के लिए तुलनात्मक के साथ वर्तमान वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रकटीकरण करने होंगे:

(ए) अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि

(बी) शीर्ष 20 के कुल अंतर-समूह एक्सपोजर

(सी) अंतर-समूह के कुल जोखिम पर उधारकर्ताओं/ग्राहकों के बैंक के कुल जोखिम का प्रतिशत

(डी) अंतर-समूह एक्सपोजर पर सीमा के उल्लंघन का विवरण और उस पर विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो।

(vii) **अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर**: एक बैंक को मुद्रा प्रेरित क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए अपनी नीतियों का प्रकटीकरण करना चाहिए।

(viii) **सोने और चांदी की संपार्श्विक के विरुद्ध ऋण**

(ए) पात्र स्वर्ण और चांदी संपार्श्विक के विरुद्ध दिए गए ऋणों का विवरण

विवरण	ऋण बकाया		औसत टिकट आकार (₹ करोड़)	औसत एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए (%)
	₹ करोड़	कुल ऋणों के % के रूप में			
1. **वित्तीय वर्ष का प्रारंभिक** शेष [(ए) + (बी)]					
(ए) उपभोग ऋण					
जिसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण					
(बी) आय सृजन ऋण					
2. **वित्त वर्ष [(सी) + (डी)] के दौरान स्वीकृत और वित**रित किए गए नए ऋण					लागू नहीं
(सी) उपभोग ऋण					लागू नहीं
जिसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण					लागू नहीं
(डी) आय सृजन ऋण					लागू नहीं
3. **वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत और वितरित नवीनीकरण**					लागू नहीं

विवरण	ऋण बकाया		औसत टिकट आकार (₹ करोड़)	औसत एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए (%)
	₹ करोड़	कुल ऋणों के % के रूप में			
4. **वित्त वर्ष के दौरान टॉप-अप ऋण स्वीकृत और वितरित किए गए**					लागू नहीं
5. **वित्त वर्ष [(ई) + (एफ)] के दौरान चुकाए गए ऋण**				लागू नहीं	लागू नहीं
(ई) उपभोग ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
जिसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
(एफ) आय सृजन ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
6. **अनर्जक वित्त वर्ष के दौरान वसूल किए गए अनर्जक ऋण** [(जी) + (एच)]				लागू नहीं	लागू नहीं
(जी) उपभोग ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
जिसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
(एच) आय सृजन ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
7. **वित्त वर्ष [(आइ) + (जे)] के दौरान** बट्टे खाते में डाले गए ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
(आइ) उपभोग ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
जिसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
(जे) आय सृजन ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
8. **वित्त वर्ष के अंत में अंतिम शेष** [(के) + (एल)]					
(के) उपभोग ऋण					
जिसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण					

विवरण	ऋण बकाया		औसत टिकट आकार (₹ करोड़)	औसत एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए (%)
	₹ करोड़	कुल ऋणों के % के रूप में			
(एल) आय सृजन ऋण					

नोट:

(i) बैंक को समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 द्वारा निर्देशित किया जाएगा

(ii) सोने की संपार्श्विक के विरुद्ध ऋण और चांदी की संपार्श्विक के विरुद्ध ऋण के लिए अलग से जानकारी प्रकट की जा सकती है

(iii) औसत एलटीवी अनुपात की गणना ऋण की स्वीकृति के समय एलटीवी की राशि के अनुपात के रूप में की जाती है।

(बी) सोने और चांदी की संपार्श्विक और नीलामी का विवरण

क्र.सं	विवरण		
(ए)	वित्तीय वर्ष के अंत में दावा न किया गया सोना या चांदी संपार्श्विक (ग्राम में)		
(बी)	जिन ऋण खातों में नीलामी आयोजित की गई थी उनकी संख्या		
(सी)	(बी) में उल्लिखित ऋण खातों में कुल बकाया		
(डी)	ऋणों के चूक के कारण वित्त वर्ष के दौरान अर्जित स्वर्ण या रजत संपार्श्विक (ग्राम में)		
(ई)	वित्त वर्ष के दौरान नीलाम की गई सोने या चांदी की संपार्श्विक (ग्राम में)		
(एफ)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलामी के माध्यम से की गई वसूली (₹ करोड़ में)		
(जी)	वसूली प्रतिशत:		
(एच)		सोने या चांदी की संपार्श्विक के मूल्य के % के रूप में	
(आई)		बकाया ऋण के % के रूप में	

टिप्पणियाँ:

(i) बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025, में समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार निर्देशित होगा।

(ii) गिरवी रखी गई संपत्ति का भार और मूल्य भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार गणना की जाएगी।

[1][(ix) **संबंधित पक्षों के प्रति एक्सपोज़र**

भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक –क्रेडिट जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 में परिभाषित संबंधित पक्षों के प्रति एक्सपोज़र का विवरण

			(राशि ₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**विवरण**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	अ. संबंधित पक्षों को प्रदान किए गए ऋण		
1	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को स्वीकृत किए गए ऋणों का कुल मूल्य		
2	दिनांक 31 मार्च को संबंधित पक्षों के पास बकाया ऋणों का कुल मूल्य		
3	दिनांक 31 मार्च को कुल अस्तित्व (एक्सपोज़र) के अनुपात में संबंधित पक्षों के पास बकाया ऋणों का कुल मूल्य (प्रतिशत में)		
4	दिनांक 31 मार्च को संबंधित पक्षों के पास बकाया ऋणों का कुल मूल्य, जिनका वर्गीकरण निम्न के रूप में है:		
	(i) दिनांक 31 मार्च को विशेष उल्लेख खाते		
	(ii) दिनांक 31 मार्च को निष्पादनकारी अचल परिसंपत्तियाँ		
5	दिनांक 31 मार्च को संबंधित पक्षों को प्रदान किए गए ऋणों के संबंध में प्रावधानों की राशि		

[1] दिनांक 5 जनवरी, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण) – संशोधन निदेश, 2026 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी रूप से सम्मिवेशित किया गया।

ब. संबंधित पक्षों से संबंधित अनुबंध एवं व्यवस्थाएँ			
6	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को दिए गए अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं का कुल मूल्य		
7	दिनांक 31 मार्च को संबंधित पक्षों से संबंधित बकाया अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं का कुल मूल्य		

]

(6) **जमा, अग्रिम, एक्सपोजर और एनपीए का संकेन्द्रण**

(i) **जमा का संकेन्द्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**वर्तमान वर्ष**	**विगत वर्ष**
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि		
बैंक के कुल जमा में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशि का प्रतिशत		

(ii) **अग्रिम का संकेन्द्रण***

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**वर्तमान वर्ष**	**विगत वर्ष**
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम		
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत		

* अग्रिम की गणना क्रेडिट एक्सपोजर के आधार पर की जाएगी, अर्थात, वित्त पोषित और गैर-निधिक सीमाएं जहां लागू हो डेरीवेटिव एक्सपोजर सहित। स्वीकृत सीमा या बकाया, जो भी अधिक हो, की गणना की जाएगी। हालाँकि, पूरी तरह से आहरित सावधि ऋणों के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी हिस्से को फिर से आहरण करने की कोई गुंजाइश नहीं है, एक बैंक बकाया को क्रेडिट एक्सपोजर के रूप में मान सकता है।

(iii) **एक्सपोजर का संकेन्द्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**वर्तमान वर्ष**	**विगत वर्ष**
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के लिए कुल जोखिम		

बैंक के कुल उधारकर्ताओं/ग्राहकों के सामने बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के जोखिम का प्रतिशत		

**एक्सपोजर की गणना लागू आरबीआई विनियमन के अनुसार की जाएगी।

(iv) **अनर्जक आस्तियों (एनपीए) संकेन्द्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
शीर्ष बीस एनपीए खातों के लिए कुल एक्सपोजर		
कुल सकल एनपीए के मुकाबले बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत।		

(7) **व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)**

नोट: एक बैंक जिसने वर्तमान और विगत वर्ष दोनों में किसी भी डेरीवेटिव लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, इन खुलासों को छोड़ सकता है और इसके बजाय प्रकटीकरण कर सकता है कि उसने वर्तमान और विगत वर्षों में डेरिवेटिव में कोई लेनदेन नहीं किया है।

(i) **फॉरवर्ड दर करार/ब्याज दर स्वैप**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
i) स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन ii) यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो होने वाली हानियाँ iii) स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा आवश्यक संपार्श्विक iv) स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण (उदाहरण के लिए, विशेष उद्योगों के लिए जोखिम, या अत्यधिक उधारी वाली कंपनियों के साथ स्वैप) v) स्वैप बुक का उचित मूल्य (नोट- यदि स्वैप विशिष्ट आस्तियों, देयताओं या प्रतिबद्धताओं से जुड़े हैं, तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जो बैंक को तुलनपत्र की		

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
तारीख पर स्वैप समझौतों को समाप्त करने के लिए प्राप्त होगी या भुगतान करेगी। एक ट्रेडिंग स्वैप के लिए उचित मूल्य इसका मार्क टू मार्केट मूल्य होगा)		

नोट: क्रेडिट और बाजार जोखिम की जानकारी सहित स्वैप की प्रकृति और शर्तें और स्वैप को रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों का भी प्रकटीकरण किया जाएगा।

(ii) **एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
i)	वर्ष के दौरान किए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)		
ii)	31 मार्च को बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव की काल्पनिक मूल राशि (लिखत-वार)		
iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया काल्पनिक मूल राशि और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं (लिखत-वार)		
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स के बकाया और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं (लिखत-वार) का मार्क टू मार्केट मूल्य		

(iii) **डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण**

(ए) गुणात्मक प्रकटीकरण: एक बैंक डेरिवेटिव से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों का प्रकटीकरण करेगा, विशेष रूप से डेरिवेटिव के उपयोग की सीमा, संबंधित जोखिम और व्यवसाय उद्देश्यों के संदर्भ में। प्रकटीकरण में यह भी शामिल होना चाहिए:

(i) डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन,

(ii) जोखिम मापन, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणालियों का दायरा और प्रकृति

(iii) हेजिंग (बचाव) और/या जोखिम को कम करने के लिए नीतियां और बचाव/न्यूनीकरण की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियां और प्रक्रियाएं, और

(iv) हेज और गैर-बचाव लेनदेन की रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की मान्यता; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और क्रेडिट जोखिम शमन।

(बी) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

सं. क्र.	विशिष्ट	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		मुद्रा डेरीवेटिव	**ब्याज दर डेरीवेटिव**	**मुद्रा डेरीवेटिव**	**ब्याज दर डेरीवेटिव**
ए)	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन राशि)				
	i) हेजिंग के लिए				
	ii) टेडिंग के लिए				
बी)	बाजार स्थितियों के लिए चिह्नित [1]				
	i) आस्ति (+)				
	ii) देयता (-)				
सी)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100 * पीवी01)				
	i) डेरिवेटिव को हेज करने पर				
	ii) डेरिवेटिव के व्यापार पर				
डी)	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100* पीवी01 देखा गया				
	i) हेजिंग पर				
	ii) टेडिंग पर				

[1] निवल स्थिति प्रत्येक प्रकार के डेरिवेटिव के लिए आस्ति या देयता के तहत दिखाई जाएगी, जैसा भी मामला हो।

(8) **जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) में हस्तांतरण**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
i)	डीईए निधि में स्थानांतरित की गई राशि का प्रारंभिक शेष		
ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईए निधि में स्थानांतरित की गई राशियाँ		
iii)	घटाएँ: डीईए निधि द्वारा दावों के प्रति प्रतिपूर्ति की गई राशि		
iv)	डीईए निधि में स्थानांतरित की गई राशि का अंतिम शेष		

क्र.सं	विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
एक बैंक यहां विनिर्दिष्ट करेगा कि डीईए निधि में स्थानांतरित की गई राशि का समापन शेष, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 'अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ - अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है' या 'आकस्मिक देयताएँ - अन्य,' के तहत भी शामिल हैं, जैसा भी मामला हो।			

(9) **शिकायतों का प्रकटीकरण**

(i) **ग्राहकों से और लोकपाल के कार्यालयों (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल का कार्यालय) से बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों पर सारांश जानकारी**

क्र.सं.		विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
	बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.		वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या		
2.		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या		
3.		वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या		
	3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या		
4.		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या		
	लोकपाल कार्यालय से बैंक द्वारा प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतें			
5.		लोकपाल कार्यालय से बैंक द्वारा प्राप्त रख-रखाव योग्य शिकायतों की संख्या		
	5.1.	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या		
	5.2	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा सुलह/मध्यस्थता/परामर्श जारी करके शिकायतों का समाधान किया गया		
	5.3	5 में से बैंक के विरुद्ध लोकपाल कार्यालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या		
6.		निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (जिनके विरुद्ध अपील की गई है)		
नोट: अनुरक्षणीय शिकायतें एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर की गई शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं।				

(ii) **ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार**

शिकायतों के आधार, (अर्थात से संबंधित शिकायतें)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	विगत वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	वर्तमान वर्ष				
आधार - 1					
आधार - 2					
आधार - 3					
आधार - 4					
आधार - 5					
आधार					
कुल					
	विगत वर्ष				
आधार - 1					
आधार - 2					
आधार - 3					
आधार - 4					
आधार - 5					
अन्य					
कुल					

नोट: परिपत्र सीईपीडी.सीओ.पीआरडी.परि.सं.01/13.01.013/2020-21 दिनांक 27 जनवरी 2021 में 'बैंकों के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना' के अनुसार शिकायतों के आधार की पहचान करने के लिए मास्टर सूची के अनुसार।

1. एटीएम/कटौती कार्ड	2. क्रेडिट कार्ड	3.इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	4. खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई
5. अपविक्रय /	6. वसूली एजेंट/प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट	7. वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांगजनों के लिए पेंशन और सुविधाएं	8. ऋण और अग्रिम
9. बिना पूर्व सूचना के शुल्क का लेवी/अत्यधिक शुल्क/फोरक्लोजर शुल्क	10. चेक/ड्राफ्ट/बिल	11. गैर-अनुपालन उचित व्यवहार संहिता का	12. सिक्कों का विनिमय, छोटे मूल्य के नोटों और सिक्कों का निर्गमन/स्वीकृति

13. बैंक गारंटी/साख पत्र और दस्तावेजी क्रेडिट	14. कर्मचारी व्यवहार	15. शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन, आदि	16. अन्य

(10) **भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण**

(i) (ए) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बी) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और (सी) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल के बाउंस होने के लिए) के प्रावधानों के तहत आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने को संबंधित बैंक की अगली वार्षिक रिपोर्ट में तुलनपत्र के 'लेखाओं के टिप्पणियाँ' में प्रकट किया जाएगा।

(ii) बैंक उल्लंघन की प्रकृति, चूक के उदाहरणों की संख्या और लगाए गए जुर्माने की मात्रा पर उचित प्रकटीकरण करेगा।

(iii) रिवर्स रेपो लेनदेन में चूककर्ता प्रतिभागी वित्तीय वर्ष के दौरान चूक के उदाहरणों की संख्या के साथ-साथ आरबीआई को भुगतान किए गए जुर्माने की मात्रा का उचित प्रकटीकरण करेगा।

(11) **अन्य प्रकटीकरण**

(i) **व्यापार अनुपात**

विशिष्ट	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
i) प्रतिशत के रूप में ब्याज आय		
ii) गैर-ब्याज आय को प्रतिशत के रूप में कार्य		
iii) जमा की लागत		
iv) निवल ब्याज[2]		
v) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ[1]		
vi) आस्तियों पर प्रतिफल [3]		
vii) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) [4] (₹ करोड़ में)		
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)		

[1] कार्यशील निधि को वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए फॉर्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट की गई कुल आस्तियों (यदि कोई हो तो संचित नुकसान को छोड़कर) के औसत के रूप में गिना जाएगा।

[2]निवल ब्याज मार्जिन = निवल ब्याज आय/औसत ब्याज आय जहां निवल ब्याज आय = ब्याज आय - ब्याज व्यय।

[3] आस्तियों पर प्रतिफल की गणना औसत कार्यशील निधि (अर्थात संचित हानियों को छोड़कर आस्तियों का कुल योग) के संदर्भ में की जाएगी।

[4] प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) की गणना के प्रयोजन से, अंतर-बैंक जमा को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

(ii) **बैंक-बीमा व्यवसाय:** बैंक द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंक-बीमा व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का विवरण वर्तमान वर्ष और विगत वर्ष दोनों के लिए प्रकट किया जाएगा।

(iii) **विपणन और वितरण:** एक बैंक अपने द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्य (बैंकासुरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का विवरण प्रकट करेगा।

(iv) **प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण:** वर्ष के दौरान बेचे और खरीदे गए पीएसएलसी श्रेणी-वार) की राशि का प्रकटीकरण किया जाएगा।

(v) **प्रावधान और आकस्मिकताएँ**

(राशि ₹ करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में प्रावधान कटौती किया गया	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
i) एनपीआई के लिए प्रावधान		
ii) एनपीए के प्रति प्रावधान		
iii) आयकर के प्रति प्रावधान किया गया		
iv) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण के साथ)		

(vi) **डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान**

[2][बैंक वार्षिक रिपोर्ट में यह खुलासा करेगा कि 'लागू बीमा प्रीमियम का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर डीआईसीजीसी को किया गया था'। यदि बैंक ने आवश्यक समयसीमा के अनुसार भुगतान नहीं किया है, तो इसका भी खुलासा किया जाएगा।]

(vii) **1 नवंबर 1993 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में पेंशन योजना के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त पेंशन देयता के परिशोधन पर प्रकटीकरण**

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे 1 नवंबर 1993 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन योजना को लागू करने की आवश्यकता है, मामले में निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है:

(ए) लागू पेंशन योजना के कारण देयता को लागू लेखांकन मानकों के अनुसार पूरी तरह से मान्यता दी जाएगी।

(बी) पेंशन में संशोधन के कारण व्यय, यदि 2024-25 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में पूरी तरह से प्रभारित नहीं किया जाता है, तो 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले अधिकतम पांच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक वर्ष कुल राशि का कम से कम 20% भाग परिशोधित किया जाए।

(सी) इस संबंध में अपनाई गई लेखा नीति का उचित प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' में किया जाएगा। बैंक अप्रवर्तित व्यय की राशि और परिणामी निवल लाभ का भी प्रकटीकरण करेगा यदि अप्रवर्तित व्यय को लाभ और हानि खाते में पूरी तरह से मान्यता दी जाती ।

(डी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की टियर 1 पूंजी से पेंशन संबंधी अऋणित व्यय में कमी नहीं की जाएगी।

[2] दिनांक 16 मार्च, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) – द्वितीय संशोधन निदेश, 2026 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी प्रतिस्थापित।

अध्याय-IV अन्य निदेश

ए. अंतर शाखा खाता - निवल कटौती शेष के लिए प्रावधान

11. बैंक अंतर शाखा खाता प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

(1) बैंक अंतर शाखा खाते में पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया क्रेडिट प्रविष्टियों को अलग करेगा और उन्हें एक अलग 'अवरुद्ध खाते' में स्थानांतरित करेगा, जिसे 'अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य' के तहत दिखाया जाएगा।

(2) अवरुद्ध खाते से किसी भी समायोजन की अनुमति केवल दो अधिकारियों के प्राधिकरण के साथ दी जानी चाहिए, जिनमें से एक नियंत्रण/प्रधान कार्यालय से होना चाहिए यदि राशि ₹ एक लाख से अधिक है।

(3) अवरुद्ध खाते में शेष राशि को नकद आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के उद्देश्य से देयता के रूप में गिना जाएगा।

(4) बैंक विभिन्न प्रकार के लेनदेन के लिए श्रेणी वार (मद वार) खाते बनाएगा, जो अंतर शाखा खातों के माध्यम से डाले गए हैं, ताकि नेटिंग श्रेणी वार की जा सके। तुलनपत्र की तारीख के अनुसार, बैंक छह महीने से अधिक समय तक असमाधानित डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों को अलग करेगा और निवल स्थिति श्रेणी वार पर पहुंचेगा, साथ ही अवरुद्ध खाते में शेष राशि पर भी विचार करेगा।

(5) अंतर शाखा खातों की सभी श्रेणियों के तहत निवल कटौती को एकत्रित किया जाएगा और कुल निवल कटौती के 100 प्रतिशत के बराबर प्रावधान किया जाएगा।

बशर्ते कि बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि एक श्रेणी में निवल कटौती दूसरी श्रेणी में निवल क्रेडिट के मुकाबले समंजन नहीं है।

बी. नोस्ट्रो खाते का मिलान और बकाया प्रविष्टियों का निपटान

12. नोस्ट्रो खातों में बकाया प्रविष्टियों का निपटान निम्नानुसार होगा।

(1) बैंक समाधान पर मजबूत नियंत्रण रखने के लिए कदम उठाएगा और वास्तविक समय मेँ समाधान की प्रणाली स्थापित करेगा, जो किसी भी अंतर की तत्काल पुष्टि प्रदान करती है।

(2) नोस्ट्रो खातों में लंबित मदों की शीर्ष प्रबंधन द्वारा कम अंतराल पर कड़ी निगरानी की जानी चाहिए।

(3) नोस्ट्रो खातों में सभी असमाधानित क्रेडिट प्रविष्टियाँ जो तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं, उन्हें अवरुद्ध खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और बकाया देयताओं के रूप में दिखाया जाएगा।

(4) अवरुद्ध खाते में शेष राशि को सीआरआर/एसएलआर के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

(5) एक बैंक नोस्ट्रो खातों में सभी असमाधानकृत कटौती प्रविष्टियों के संबंध में 100 प्रतिशत प्रावधान करेगा, जो दो वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं।

सी. आरक्षित निधियों में अंतरण / से विनियोजन

13. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(1) के अनुसार, बैंक को लाभ और हानि खाते में प्रकट किए गए लाभ के शेष राशि में से, ऐसे लाभ के 20 प्रतिशत से कम नहीं के बराबर राशि, रिज़र्व निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

14. जब तक कि मौजूदा नियमों द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए, बैंक को सांविधिक रिज़र्व या किसी अन्य रिज़र्व से कोई विनियोजन करने से पहले आरबीआई से पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

15. बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि,

(1) सभी खर्च जिनमें प्रावधान और राइट-ऑफ एक अवधि में निर्धारित, चाहे अनिवार्य हो या विवेकपूर्ण, अवधि के लिए लाभ और हानि खाते में एक 'रेखा से ऊपर' मद के रूप में प्रतिबिंबित किया जाएगा (अर्थात, वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि पर पहुंचने से पहले);

(2) भारतिय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से, रिज़र्व से आहरण, केवल 'रेखा से नीचे' (अर्थात वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि पर पहुंचने के बाद) किया जाएगा; और

(3) तुलनपत्र के 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' में इस तरह के आहरण द्वारा कमी का उचित प्रकटीकरण किया जाएगा।

(4) लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, भारतिय रिज़र्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना, एक बैंक शेयरों के निर्गम व्यय को पूरा करने के लिए शेयर प्रीमियम खाते का उपयोग कर सकता है, इस हद तक कि ऐसे व्यय लेनदेन से सीधे संबद्ध वृद्धिशील लागत हैं जो अन्यथा टाले जा सकते थे।

बशर्ते कि, शेयर प्रीमियम खाते का उपयोग ऋण लिखत जारी करने से संबंधित खर्चों को बट्टे खाते में डालने के लिए नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस निदेश के प्रयोजनों के लिए, निर्गम व्यय में पंजीकरण और अन्य विनियामक शुल्क, कानूनी, लेखांकन और अन्य पेशेवर सलाहकारों को किए गए भुगतान, मुद्रण लागत और स्टाम्प शुल्क शामिल होंगे।

डी. धोखाधड़ी के लिए प्रावधान

16. धोखाधड़ी के लिए प्रावधान के संबंध में, एक बैंक जिसने निर्धारित समय के भीतर धोखाधड़ी की सूचना दी है, उसके पास धोखाधड़ी का पता लगने वाले तिमाही से शुरू होने वाली अधिकतम चार तिमाहियों की अवधि में इसके लिए प्रावधान करने का विकल्प होगा।

17. जहां बैंक धोखाधड़ी के लिए दो से चार तिमाहियों में प्रदान करने का विकल्प चुनता है और इसके परिणामस्वरूप पूर्ण प्रावधान एक से अधिक वित्तीय वर्षों में किया जाता है, लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, यह प्रावधानों में क्रेडिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि अप्रस्तुत से सांविधिक रिज़र्व के अलावा अन्य रिज़र्व कटौती कर सकता है।

    बशर्ते कि इसे बाद में आरक्षित निधियों में आहरणों को आनुपातिक रूप से उलट देना चाहिए और अगले वित्तीय वर्ष की क्रमिक तिमाहियों में लाभ और हानि खाते में आहरण करके प्रावधान को पूरा करना चाहिए।

18. जहां धोखाधड़ी की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्धारित अवधि से अधिक समय तक देने में देरी हुई है, वहां पूरा प्रावधान एक ही बार में किया जाना आवश्यक है।

ई. असमाधानित शेष राशियाँ

19. किसी भी अस्थायी खाते में असमाधानित क्रेडिट शेष राशि, जो कि दावा न की गई शेष राशि का प्रतिनिधित्व करती है, को लाभ और हानि खाते अथवा किसी भी आरक्षित निधि में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

एफ. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता (डीटीएल)

20. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत बैंक सृजित विशेष आरक्षित निधि पर डीटीएल के लिए प्रावधान करेगा।

जी. विंडो ड्रेसिंग

21. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि तुलनपत्र और लाभ और हानि खाता उसकी वित्तीय स्थिति की वास्तविक और उचित तस्वीर को दर्शाता है।

22. वित्तीय मामलों की दिखावटी प्रस्तुतीकरण, अल्प प्रावधान, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का गलत वर्गीकरण, एक्सपोजर/जोखिम भार की कम रिपोर्टिंग/गलत गणना, व्यय का गलत पूंजीकरण, एनपीए पर ब्याज का पूंजीकरण, वित्तीय वर्ष के अंत में आस्ति और देयताओं का जानबूझकर अतिरंजन और उसके बाद अगले वित्तीय वर्ष में उसे तुरंत रिवर्स कर देना आदि को गंभीरता से देखा जाएगा और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के संदर्भ में उचित दंडात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

अध्याय-V निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और व्यावृत्ति

23. इन निदेशों के जारी होने के साथ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू वित्तीय विवरणों- प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण से संबंधित मौजूदा निदेश, निदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि 28 नवंबर 2025 दिनांक परिपत्र डीओआर.आरआरसी.आरईसी. 302/33-01-010/2025-26 में सूचित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त ही रहेंगे।

24. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या कथित कार्रवाई, या शुरू की गई कार्रवाई, उसके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियां या पावती इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएंगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

ए. कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता जो उसके तहत अर्जित, उपार्जित या उपगत की गई है;

बी. इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में लगाया गया कोई भी जुर्माना, जब्ती या सजा;

सी. किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती या सजा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है, या लागू किया जा सकता है और ऐसी कोई भी दंड, जब्ती या सजा लगाई जा सकती है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

25. इन निदेशों के प्रावधान, समय-समय पर लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, और उनके अपवाद नहीं होंगे।

सी. व्याख्याएँ

26. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, आरबीआई, यदि वह आवश्यक समझता है, तो यहां

शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और आरबीआई द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(सुनील टी एस नायर)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध I

तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते का प्रारूप

(फॉर्म ए और फॉर्म बी मूल भारत सरकार की अधिसूचना एसओ 240(ई) दिनांक 26 मार्च 1992 से पुन: प्रस्तुत किया गया है)

फॉर्म ए

तुलन पत्र का रूप

--- (यहाँ बैंकिंग कंपनी का नाम भरे) का तुलन पत्र

31 मार्च ------------------- (वर्ष) की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(000 को छोडकर)

	अनुसूची	31 मार्च, ___ (वर्तमान वर्ष) को	31 मार्च, ___ (पिछले वर्ष) तक
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1		
आरक्षित और अधिशेष	2		
जमा	3		
उधार	4		
अन्य देयताएं और प्रावधान	5		
कुल			
आस्ति			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष	6		
बैंको में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	7		
विनिधान	8		
अग्रिम	9		
स्थिर आस्तियां	10		
अन्य आस्ति	11		
जोड़			
समाश्रित दायित्व	12		
संग्रहण के लिए बिल			

अनुसूची 1 - पूंजी

		31 मार्च, ___ (वर्तमान वर्ष) को	31 मार्च, ___ (पिछले वर्ष) तक
I	राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए पूंजी (केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व में)	___	___
		___	___
II	भारत के बाहर निगमित बैंकों के लिए		
	पूंजी		
	(i) आरबीआई द्वारा निर्धारित स्टार्ट-अप पूंजी के माध्यम से बैंकों द्वारा लाई गई राशि को इस शीर्ष के तहत दिखाया जाना चाहिए।		
	(ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(2) के तहत आरबीआई के पास रखी गई जमा राशि।	___	___
	कुल	___	___

		31 मार्च, ___ (वर्तमान वर्ष) को	31 मार्च, ___ (पिछले वर्ष) तक
III	अन्य बैंकों के लिए		
	प्राधिकृत पूंजी		
	(_____रूपये प्रति शेयर वाले ___ शेयर)		
	जारी पूंजी		
	(______ रूपये प्रति शेयर वाले ___ शेयर)		
	अभिदत्त पूंजी		
	(______रू. के ___ शेयर)		
	कॉल-अप पूंजी (प्रत्येक ______रू. के ___ शेयर)		
	घटाइए: अदत्त मांग		
	जोडीए: समप्रहृत शेयर		

अनुसूची 2 - आरक्षितिया और अधिशेष

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	कानूनी आरक्षितिया		
	अथशेष		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
II.	पूंजी आरक्षितिया		
	अथशेष		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
III.	शेयर प्रीमियम		
	अथशेष		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
IV.	राजस्व और अन्य आरक्षितिया		
	अथशेष		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
V.	लाभ और हानि खाते का अधिशेष		
	जोड़ (1, 2, 3, 4 और 5)		

अनुसूची 3 - निक्षेप

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
ए.I.	मांग निक्षेप		
	(i) बैंकों से		
	(ii) अन्य से		
II.	बचत बैंक निक्षेप		
III.	कालिक निक्षेप		
	(i) बैंकों से		
	(ii) अन्य से		
	जोड़		
	(I, II और III)		
बी.	(i) भारत में शाखाओं के निक्षेप		
	(ii) भारत से बाहर शाखाओं के निक्षेप		
	जोड़		

अनुसूची 4 - उधार

		31 मार्च, ___ (वर्तमान वर्ष) को	31 मार्च, ___ (पिछले वर्ष) तक
I.	भारत में उधार		
	(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक		
	(बी) अन्य बैंक		
	(सी) अन्य संस्थान व अभिकरण		
II.	भारत के बाहर उधार		
	जोड़ (I और II)		
	उपर । और ।। में सम्मिलित प्रतिभूत उधार -- रूपये		

अनुसूची 5 – अन्य देंनदारियों तथा प्रावधान

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	सदेय बिल		
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		
III.	अर्जित ब्याज		
IV.	अन्य (इसमे व्यवस्था सम्मिलित है)		
	जोड़		

अनुसूची 6 – भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	हाथ नकदी (इसमे विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)		
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष		
	(i) चालू खाते में		
	(ii) अन्य खातों में		
	जोड़ (I और II)		

अनुसूची 7 – बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	भारत में		
	(i) बैंकों में अतिशेष		
	(ए) चालू खातों में		
	(बी) अन्य जमा खातों में		
	(ii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन		
	(ए) बैंकों के पास		
	(बी) अन्य संस्थानों में		

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
जोड़ (i और ii)		
II. भारत में बाहर		
(i) चालू खातों में		
(ii) अन्य जमा खातों में		
(iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन`		
जोड़ (i, ii और iii)		
जोड़ (I और II)		

अनुसूची 8 – विनिधान

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. भारत में विनिधान		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां		
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
(iii) शेयर		
(iv) डिबेंचर और बध पत्र		
(v) अनुषंगियों और/अथवा सह उद्यम		
(vi) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		
II. भारत के बाहर विनिधान		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकारी सम्मिलित हैं)		
(ii) विदेश में अनुषंगियों और/अथवा उद्यम		
(iii) अन्य विनिधान (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		
कुल जोड़ (I और II)		

अनुसूची 9 – अग्रिम

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
ए.	(i) क्रय किए गए और मिती काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र		
	(ii) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रति सदेय उधार		
	(iii) सावधि उधार		
	जोड़		
बी.	(i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत		
	(ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा सूरक्षित		
	(iii) अप्रतिभूत		
	जोड़		
सी.I.	भारत में अग्रिम		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		
	(ii) सरकारी क्षेत्र		
	(iii) बैंक		
	(iv) अन्य		
	जोड़		
सी.II.	भारत के बाहर अग्रिम		
	(i) बैंकों से शोध्य		
	(ii) अन्यों से शोध्य		
	(ए) क्रय किए गए और मिती काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र		
	(बी) सिंडिकेटेड ऋण		
	(सी) अन्य		
	जोड़		
	कुल जोड़ (सी.I और II)		

अनुसूची 10 – स्थिर आस्तियां

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. परिसर		
पूर्ववर्तीय वर्ष की 31 मार्च के अनुसार लागत		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वर्ष के दौरान कटोती		
आज तक मूल्यह्रास		
II. अन्य स्थिर आस्तियां (इसमे फर्निचर और फिक्चर सम्मिलित हैं)		
पिछले वर्ष के 31 मार्च के लागत पर		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वर्ष के दौरान कटोती		
आज तक मूल्यह्रास		
जोड़ (I और II)		

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		
II. अर्जित ब्याज		
III. अग्रिम रूप से सदेत/स्त्रोत पर कर कटौती		
IV. लेखन सामाग्री और स्टैंप		
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई बैंककारी आस्तियां		
VI. अन्य*		
जोड़		

* यदि हानि का कोई असमायोजित शेष है तो उसे इस मद के अंतर्गत उपयुक्त फुट-टिप्पणी के साथ दिखाया जा सकता है।

अनुसूची 12 – समाश्रित दायित्व

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हे ऋण के रुप में स्वीकार नही किया गया हैं।		
II. आंशिक रुप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता		
III. बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों के कारण देयता		
IV. संघटको की ओर से दी गई प्रतिभूतिया		
(a) भारत में		
(b) भारत के बाहर		
V. प्रति-ग्रहण पृष्टकन और अन्य बाध्यताएँ		
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है		
जोड़		

फॉर्म बी

31 मार्च (वर्ष) को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का प्रपत्र

(000's को छोडकर)

		अनुसूची	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	आय			
	अर्जित ब्याज	13		
	अन्य आय	14		
	जोड़			
II.	व्यय			
	व्यय किया गया ब्याज	15		
	प्रचालन व्यय	16		
	उपाबंध और आकस्मिक व्यय			
	जोड़			
III.	लाभ/हानि			
	वर्ष के शुद्ध लाभ/हानि(-)			
	लाभ/हानि(-)आगे लाया गया			
	कुल			
IV.	विनियोजन			
	वैधानिक रिज़र्व का अंतरण			
	अन्य रिज़र्व में अंतरण			
	सरकार को अंतरण/प्रस्तावित लाभांश			
	अतिशेष जो तुलन पत्र मे आगे लाया गया हैं।			

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. ब्याज/, अग्रिमो/विनिमयों पात्रो पर ब्याज/मितीकाटा		
II. विनिधानों पर आय		
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज		
IV. अन्य		
जोड़		

अनुसूची 14 – अन्य आय

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. कमिशन, विनिमय और दलाली		
II. विनिधानों के विक्रय पर लाभ		
घटः विनिधानों के विक्रय पर हानि		
III. विनिधानों के पूनर्मूल्यांकन पर लाभ		
घटः विनिधानों के पूनर्मूल्यांकन पर हानि		
IV. भूमि, भवनो और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ		
घटः भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की विक्रय पर हानि		
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ		
घटः विनिमय संव्यवहारों पर हानि		
VI. विदेश/भारत में स्थापित समनुषंगियों /कंपनियों और/या सह उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय		
VII. प्रकिर्ण आय		
जोड़		

नोटः मद संख्या I से V के अंतर्गत घाटे कोष्ठको में दिखाए जाएं।

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	निक्षेपों पर ब्याज		
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारो पर ब्याज		
III.	अन्य		
	जोड़		

अनुसूची 16 – परिचालन व्यय

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए व्यवस्था		
II.	भाटक, कर और लाइटिंग		
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री		
IV.	विज्ञापन और प्रचार		
V.	बैंको की संपत्ति पर मूल्यर्हास		
VI.	निदेशक की फीस, भत्ते और व्यय		
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)		
VIII.	विधि प्रभार		
IX.	डाक, महसूल, तार और टेलीफोन, आदि.		
X.	मरम्मत और अनुरक्षण		
XI.	बीमा		
XII.	अन्य व्यय		
	जोड़		